

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Directorate of Sugar)

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated 25th January, 2012

No.SC-II/2011-2012/AO/March, 2012/Andhra Pradesh

ORDER

In exercise of the powers conferred by Clause 2(1) of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 as amended vide GSR No. 420(E)/Ess. Com./Sugar dated 31st May, 1984 read with the Notification of the Govt. of India in the erstwhile Ministry of Agriculture & Irrigation (Deptt. of Food) No. GSR. 697 (E)/ Ess. Com./Sugar dated 17th December, 1979, I, Sanjay Kumar, Deputy Director (Cost), Directorate of Sugar, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, hereby direct that the producers/owners of the following sugar factories shall sell from their respective factories on receipt of this direction the specified quantity of levy sugar out of the production of the year 2009-2010 (October, 2009 to September, 2010) to the Government of Andhra Pradesh or any person or organization duly authorized by such officer hereinafter referred to as the `Consignee` subject to the conditions listed in this order as per details below :-

Sl. No.	Code No.	Short Name	Qty. in M.T
1.	23605	MUTHYAM	238.6 (Two hundred thirty eight decimal six)
2.	23608	DECCAN	80.8 ((Eighty decimal eight)
3.	23609	NCS SUGARS	555.7 (Five hundred fifty five decimal seven)
4.	23901	CHODAVARAM	37.3 (Thirty seven decimal three)
5.	24101	ETIKOPPAKA	504.6 (Five hundred four decimal six)
6.	24501	BHIMADOLE	21.0 (Twenty one)
7.	25201	KOVUR	83.5 (Eighty three decimal five)
8.	25401	TIRUPATI	450.3 (Four hundred fifty decimal three)
9.	25501	CHAGALLU	441.5(Four hundred forty one decimal five)
10.	25602	TADAUVAI	311.2(Three hundred eleven decimal two)
11.	25801	SAMALKOT	313.7(Three hundred thirteen decimal seven)
12.	34301	KALLUR	446.5(Four hundred forty six decimal five)
13.	34401	NAYUDUPETA	233.8 (Two hundred thirty three decimal eight)
14.	42601	NINDRA	4357.0(Four thousand three hundred fifty seven)
15.	43801	G.S.COMPLEX	708.3 (Seven hundred eight decimal three)
16.	55401	NELAVOY	948.0 (Nine hundred forty eight)
17.		TOTAL	9731.8

No.SC-II/2011-2012/AO/March, 2012/Andhra Pradesh
CONDITIONS FOR DELIVERY/DESPATCH

Dated 25th January, 2012

1. The quality of levy sugar to be supplied shall conform to ISS Grade produced by Sulphitation/Carbonation process and packed in 50 Kg. new jute bags.

1.1. In case any sugar mill is not having levy sugar stock in accordance with condition No. 1 above, then such sugar mill is directed to supply levy sugar from the new sugar season stocks, packed in 50 Kg, new jute bags, but the sugar mill shall be entitled only for the levy price applicable for the sugar season from which the levy sugar has been released.

2. The levy sugar may delivered ex-factory or dispatch by rail as may be desired by the consignee. In case of despatch by rail, the producer shall apply for registration of wagon within three days of the receipt of dispatching instructions by him from the consignee. If the wagon quota is not immediately available, he shall apply for the registration as soon as the wagon quota becomes available. The producer shall also report the fact of non-availability of wagon quota to Joint Commissioner (Movt.), Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Krishi Bhavan, New Delhi.

3. The delivery/dispatch of levy sugar against this order shall commence from 01.02.2012 and delivery/despatch of the entire quantity shall be completed by 31.03.2012.

4. The producers of the sugar mills on pre-page shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2009-2010 production) Order, 2010 dated 18.1.2010.

5. The transaction arising out of the direction shall be entirely and strictly on commercial basis between the producer and the consignee to whom levy sugar is delivered or dispatched in accordance with the instruction of the State Govt./FCI/Admn. Any claim or dispute arising out of this transaction shall be responsibility of the producer and no claim shall lie against the Central Govt. by reason of issue of this direction.

(Sanjay Kumar)
Deputy Director (Cost)

To

All concerned sugar mills.

Copy to :-

1. The Central Excise Officer concerned.
2. The Secretary to the Govt. of Andhra Pradesh, Deptt. of Food and Civil Supplies, Hyderabad. The monthly levy sugar quota of your state is 9690.0 MT. However, a quantity of 9731.8 MT has been released for the month of March, 2012 after adjusting - MT allocated in excess for the month February, 2012 and also - MT has been allocated in excess to complete the rake load and that the same shall be adjusted against the levy sugar quota of your state to be released for the month of April, 2012. Besides, the quantity allocated through Order also includes - MT as part of your annual festival quota and a quantity of 41.8 MT levy sugar as levy sugar quota for Paramilitary personnel viz. BSF, CRPF and SSB for the month.
3. The Station Master concerned. The movement of the above sponsored by the Deputy y Director (Cost), M/o Consumer Affairs, Food & PD, New Delhi and may be arranged accordingly.
4. Senior Technical Officer, CEIB, D/o Revenue, Janpath Bhavan, New Delhi.
5. Information officer, M/o CA & PD, PIB, New Delhi/Facilitation Centre, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Section Officer (Release)/Deputy Director (Cost)/Factory file/NFCSF/ISMA.

(Sanjay Kumar)
Deputy Director (Cost)

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Directorate of Sugar)

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated 25th January, 2012

No.SC-II/2011-2012/AO/March, 2012/Karnataka

ORDER

In exercise of the powers conferred by Clause 2(1) of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 as amended vide GSR No. 420(E)/Ess. Co./Sugar dated 31st May, 1984 read with the Notification of the Govt. of India in the erstwhile Ministry of Agriculture & Irrigation (Deptt. of Food) No. GSR.697(E)/Ess.Com/Sugar dated 17th December, 1979, I, Sanjay Kumar, Deputy Director (Cost), Directorate of Sugar, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, hereby direct that the producers/owners of the following sugar factories shall sell from their respective factories on receipt of this direction the specified quantity of levy sugar out of the production of the year 2009-2010 (October, 2009 to September, 2010) to the Government of Karnataka or any person or organization duly authorized by such officer hereinafter referred to as the `Consignee` subject to the conditions listed in this order as per details below:-

Sl. No.	Code No.	Short Name	(Quantity. in M.T.)
1.	26701	SANKESHWAR	135.8 (One hundred thirty five decimal eight)
2.	26801	MALAPRABHA	477.1(Four hundred seventy seven decimal one)
3.	26901	CHIKODI	771.0 (Seven hundred seventy one)
4.	27001	RAIBAG	144.5(One hundred forty four decimal five)
5.	27101	GOKAK	106.6(One hundred six decimal six)
6.	27801	HAVERI	72.1(Seventy two decimal one)
7.	28101	CHAMUNDESWARI	520.0(Five hundred twenty)
8.	28701	DAVENGERE	383.4 (Three hundred eighty three decimal four)
9.	40501	ATHANI	115.4(One hundred fifteen decimal four)
10.	40701	IMAMPUR	588.1(Five hundred eighty eight decimal one)
11.	45601	RANNANAGAR	125.7(One hundred twenty five decimal seven)
12.	49801	SHAMANUR	423.0(Four hundred twenty three)
13.	50301	SIDDAPUR	1149.3 (One thousand one hundred forty nine decimal three)
14.	51901	MUDHOL	459.0(Four hundred fifty nine)
15.	54701	BHALKI	544.2(Five hundred forty four decimal two)
16.	55901	BAROOR	163.5(One hundred sixty three decimal five)
17.	56001	HUNASHAYAL	514.6(Five hundred fourteen decimal six)
18.	57001	BADAGANDI	369.9(Three hundred sixty nine decimal nine)
19.	57301	SIDDASAMUDRA	164.8(One hundred sixty four decimal eight)
20.	58501	HAVALGA	582.3(Five hundred eighty two decimal three)
21.	58801	BURALATTI	671.8 (Six hundred seventy one decimal eight)
22.	63501	HAVINAL	233.3(Two hundred thirty three decimal three)
		TOTAL	8715.4

1. The quality of levy sugar to be supplied shall conform to ISS Grade produced by Sulphitation/Carbonation process and packed in 50 Kg. new jute bags.

1.1. In case any sugar mill is not having levy sugar stock in accordance with condition No. 1 above, then such sugar mill is directed to supply levy sugar from the new sugar season stocks, packed in 50 Kg. new jute bags, but the sugar mill shall be entitled only for the levy price applicable for the sugar season from which the levy sugar has been released.

2. The levy sugar may delivered ex-factory or dispatch by rail as may be desired by the consignee. In case of despatch by rail, the producer shall apply for registration of wagon within three days of the receipt of dispatching instructions by him from the consignee. If the wagon quota is not immediately available, he shall apply for the registration as soon as the wagon quota becomes available. The producer shall also report the fact of non-availability of wagon quota to Joint Commissioner (Movt.), Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Krishi Bhavan, New Delhi.

3. The delivery/dispatch of levy sugar against this order shall commence from 01.02.2012 and delivery/dispatch of the entire quantity shall be completed by 31.03.2012.

4. The producers of the sugar mills on pre-page shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2009-2010 production) Order, 2010 dated 21.6.2010.

5. The transaction arising out of the direction shall be entirely and strictly on commercial basis between the producer and the consignee to whom levy sugar is delivered or dispatched in accordance with the instruction of the State Govt./FCI/Admn. Any claim or dispute arising out of this transaction shall be responsibility of the producer and no claim shall lie against the Central Govt. by reason of issue of this direction.

(Sanjay Kumar)
Deputy Director (Cost)

To

All concerned sugar mills.

Copy to:

1. The Central Excise Officer concerned.
2. The Secretary to the Govt. of Karnataka, Food and Civil Supplies Deptt., Bangalore. The monthly levy sugar quota of your state is 8636.0 MT. However, a quantity of 8715.4 MT has been released for the month of March, 2012 after adjusting - MT allocated in excess for the month February, 2012 and also - MT has been allocated in excess to complete the rake load and that the same shall be adjusted against the levy sugar quota of your state to be released for the month of April, 2012. Besides, the quantity allocated through Order also includes - MT as part of your annual festival quota and a quantity of 79.4 MT levy sugar as levy sugar quota for Paramilitary personnel viz. BSF, CRPF and ITBP for the month.
3. The Station Master concerned. The movement of the above sponsored by the Deputy Director (Cost), M/o Consumer Affairs, Food & PD, New Delhi and may be arranged accordingly.
4. Senior Technical Officer, CEIB, D/o Revenue, Janpath Bhavan, New Delhi.
5. Information officer, M/o CA & PD, PIB, New Delhi/Facilitation Centre, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Section Officer (Release)/Deputy Director (Cost)/Factory file/NFCSF/ISMA.

(Sanjay Kumar)
Deputy Director (Cost)

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Directorate of Sugar)

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated 25th January, 2012

No.SC-II/2011-2012/AO/March, 2012/Tamil Nadu

ORDER

In exercise of the powers conferred by Clause 2(1) of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 as amended vide GSR No. 420(E)/Ess. Com./Sugar dated 31st May, 1984 read with the Notification of the Govt. of India in the erstwhile Ministry of Agriculture & Irrigation (Deptt. of Food) No.GSR.697(E)/Ess.Com/Sugar dated 17th December, 1979, I, Sanjay Kumar, Deputy Director (Cost), Directorate of Sugar, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, hereby direct that the producers/owners of the following sugar factories shall sell from their respective factories on receipt of this direction the specified quantity of levy sugar out of the production of the year 2009-2010 (October, 2009 to September, 2010) to the Government of Tamil Nadu or any person or organization duly authorized by such officer hereinafter referred to as the `Consignee` subject to the conditions listed in this order as per details below:-

Sl. No.	Code No.	Short Name	Qty. in M.T
1.	29501	ULUNDURPET	2851.1 (Two thousand eight hundred fifty one decimal one)
2.	29701	TIRUTTANI	57.7 (Fifty seven decimal seven)
3.	30301	CAUVERY	374.6 (Three hundred seventy four decimal six)
4.	30401	NELLIKUPPAM	3731.9(Three thousand seven hundred thirty one decimal nine)
5.	50501	ARANTANGI	2107.1 (Two thousand one hundred seven decimal one)
6.	64001	UDUMBIYAM	1729.9 (One thousand seven hundred twenty nine decimal nine)
		TOTAL	10852.3

Contd. 2/-.....

1. The quality of levy sugar to be supplied shall conform to ISS Grade produced by Sulphitation/Carbonation process and packed in 50 Kg. new jute bags.

1.1. In case any sugar mill is not having levy sugar stock in accordance with condition No. 1 above, then such sugar mill is directed to supply levy sugar from the new sugar season stocks, packed in 50 Kg. new jute bags, but the sugar mill shall be entitled only for the levy price applicable for the sugar season from which the levy sugar has been released.

2. The levy sugar may delivered ex-factory or dispatch by rail as may be desired by the consignee. In case of despatch by rail, the producer shall apply for registration of wagon within three days of the receipt of dispatching instructions by him from the consignee. If the wagon quota is not immediately available, he shall apply for the registration as soon as the wagon quota becomes available. The producer shall also report the fact of non-availability of wagon quota to Joint Commissioner (Movt.), Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Krishi Bhavan, New Delhi.

3. The delivery/dispatch of levy sugar against this order shall commence from 01.02.2012 and delivery/dispatch of the entire quantity shall be completed by 31.03.2012.

4. The producers of the sugar mills shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2009-2010 production) Order, 2010 dated 21.6.2010.

5. The transaction arising out of the direction shall be entirely and strictly on commercial basis between the producer and the consignee to whom levy sugar is delivered or dispatched in accordance with the instruction of the State Govt./FCI/Admn. Any claim or dispute arising out of this transaction shall be responsibility of the producer and no claim shall lie against the Central Govt. by reason of issue of this direction.

(Sanjay Kumar)
Director(Cost)

To

All concerned sugar mills.

Copy to :-

1. The Central Excise Officer concerned.
2. The Secretary to the Govt. of Tamil Nadu, Food and Civil Supplies Deptt., Chennai. The monthly levy sugar quota of your state is 10820.0 MT. However, a quantity of 10852.3 MT has been released for the month of March, 2012 after adjusting - MT allocated in excess for the month February, 2012 and also - MT has been allocated in excess to complete the rake load and that the same shall be adjusted against the levy sugar quota of your state to be released for the month of April, 2012. Besides, the quantity allocated through Order also includes - MT as part of your annual festival quota and a quantity of 32.3 MT levy sugar as levy sugar quota for Paramilitary personnel viz. BSF, CRPF and NDRF for the month.
3. The Station Master concerned. The movement of the above sponsored by the Deputy Director (Cost), M/o Consumer Affairs, Food & PD, New Delhi and may be arranged accordingly.
4. Senior Technical Officer, CEIB, D/o Revenue, Janpath Bhavan, New Delhi.
5. Information officer, M/o CA & PD, PIB, New Delhi/Facilitation Centre, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Section Officer (Release)/Deputy Director (Cost)/Factory file/NFCSF/ISMA.

(Sanjay Kumar)
Director(Cost)

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Directorate of Sugar)

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated 25th January, 2012

No.SC-II/2011-2012/AO/March, 2012/West Bengal

ORDER

In exercise of the powers conferred by Clause 2(1) of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 as amended vide GSR No. 420(E)/Ess. Co./Sugar dated 31st May, 1984 read with the Notification of the Govt. of India in the erstwhile Ministry of Agriculture & Irrigation (Deptt. of Food) No. GSR.697(E)/Ess.Com/Sugar dated 17th December, 1979, I, Sanjay Kumar, Deputy Director (Cost), Directorate of Sugar, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, hereby direct that the producers/owners of the following sugar factories shall sell from their respective factories on receipt of this direction the specified quantity of levy sugar out of the production of the year 2010-2011 (October, 2010 to September, 2011) to the Government of West Bengal or any person or organization duly authorized by such officer hereinafter referred to as the `Consignee` subject to the conditions listed in this order as per details below :-

S. No.	Code No.	Short Name	(Quantity in M.T.)
		FROM BIHAR	
1.	22201	SASAMUSA	1752.9 (One thousand seven hundred fifty two decimal nine)
2.	22501	RIGHA	2265.7 (Two thousand two hundred sixty five decimal seven)
3.	22301	GOPALGANJ	338.2 (Three hundred thirty eight decimal two)
4	21501	HASSANPUR	1831.3(One thousand eight hundred thirty one decimal three)
5	21901	MAJHAULIA	1850.6(One thousand eight hundred fifty decimal six)
6	22401	SIDHWALIA	1303.9(One thousand three hundred three decimal nine).

OUT OF 2009-2010 SEASON'S PRODUCTION

The producers of the sugar mills on pre-page shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2009-2010 production) Order, 2010 dated 21.6.2010.

7	21701	HARINAGAR	2589.2 (Two thousand five hundred eighty nine decimal two)
8	21601	BAGAHA	2008.2(Two thousand eight decimal two)
9	22401	SIDHWALIA	328.3 (Three hundred twenty eight decimal three)
		Total	14268.3

CONDITIONS FOR DELIVERY/DESPATCH

1. The quality of levy sugar to be supplied shall conform to ISS Grade produced by Sulphitation/Carbonation process and packed in 50 Kg. new jute bags.

1.1. In case any sugar mill is not having levy sugar stock in accordance with condition No. 1 above, then such sugar mill is directed to supply levy sugar from the new sugar season stocks, packed in 50 Kg. new jute bags, but the sugar mill shall be entitled only for the levy price applicable for the sugar season from which the levy sugar has been released.

2. The levy sugar may delivered ex-factory or dispatch by rail as may be desired by the consignee. In case of despatch by rail, the producer shall apply for registration of wagon within three days of the receipt of dispatching instructions by him from the consignee. If the wagon quota is not immediately available, he shall apply for the registration as soon as the wagon quota becomes available. The producer shall also report the fact of non-availability of wagon quota to Joint Commissioner (Movt.), Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Krishi Bhavan, New Delhi.

3. The delivery/dispatch of levy sugar against this order shall commence from 01.02.2012 and delivery/dispatch of the entire quantity shall be completed by 31.03.2012.

4. The producers of the sugar mills at Sl Nos. 1 to 6 on pre-page shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2010-2011 production) Order, 2011 dated 18.1.2011.

5. The transaction arising out of the direction shall be entirely and strictly on commercial basis between the producer and the consignee to whom levy sugar is delivered or dispatched in accordance with the instruction of the State Govt./FCI/Admn. Any claim or dispute arising out of this transaction shall be responsibility of the producer and no claim shall lie against the Central Govt. by reason of issue of this direction.

(Sanjay Kumar)
Deputy Director (Cost)

To

All concerned sugar mills.

Copy to :-

1. The Central Excise Officer concerned.
2. The Secretary to the Govt. of West Bengal, Food and Civil Supplies Deptt., Kolkata. The monthly levy sugar quota of your state is 14087.0 MT. However, a quantity of 14268.3 MT has been released for the month of March, 2012 after adjusting - MT allocated in excess for the month February, 2012 and also - MT has been allocated in excess to complete the rake load and that the same shall be adjusted against the levy sugar quota of your state to be released for the month of April, 2012. Besides, the quantity allocated through Order also includes - MT as part of your annual festival quota and a quantity of 181.3 MT levy sugar as levy sugar quota for Paramilitary personnel viz. BSF, CRPF, SSB, and NDRF for the month.
3. The Station Master concerned. The movement of the above sponsored by the Director (Cost), M/o Consumer Affairs, Food & PD, New Delhi and may be arranged accordingly.
4. Senior Technical Officer, CEIB, D/o Revenue, Janpath Bhavan, New Delhi.
5. Information officer, M/o CA & PD, PIB, New Delhi.
6. Facilitation Centre, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Section Officer (Release)/Deputy Director (Cost)/Factory file.
8. NFCSF/ISMA.

(Sanjay Kumar)
Deputy Director (Cost)

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Directorate of Sugar)

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated 25th January, 2012

No.SC-II/2011-2012/AO/March, 2012/Orissa

ORDER

In exercise of the powers conferred by Clause 2(1) of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 as amended vide GSR No. 420(E)/Ess. Co./Sugar dated 31st May, 1984 read with the Notification of the Govt. of India in the erstwhile Ministry of Agriculture & Irrigation (Deptt. of Food) No. GSR.697(E)/Ess.Com/Sugar dated 17th December, 1979, I, Sanjay Kumar, Deputy Director (Cost), Directorate of Sugar, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, hereby direct that the producers/owners of the following sugar factories shall sell from their respective factories on receipt of this direction the specified quantity of levy sugar out of the production of the year 2010-2011 (October, 2010 to September, 2011) to the Government of Orissa or any person or organization duly authorized by such officer hereinafter referred to as the `Consignee` subject to the conditions listed in this order as per details below :-

Sl. No.	Code No.	Short Name	Qty. in M.T.
From Orissa			
1.	32401	NAYAGARH	128.6 (One hundred twenty eight decimal six)
From Karnataka			
2.	26701	SANKESHWAR	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
3.	27101	GOKAK	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)

OUT OF 2009-2010 SEASON'S PRODUCTION

The producers of the sugar mills on pre-page shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2009-2010 production) Order, 2010 dated 21.6.2010.

From Maharashtra			
4	14801	Raj Phaltan	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
		TOTAL :-	8192.6

Contd. 2/

1. The quality of levy sugar to be supplied shall conform to ISS Grade produced by Sulphitation/Carbonation process and packed in 50 Kg. new jute bags.

1.1. In case any sugar mill is not having levy sugar stock in accordance with condition No. 1 above, then such sugar mill is directed to supply levy sugar from the new sugar season stocks, packed in 50 Kg. new jute bags, but the sugar mill shall be entitled only for the levy price applicable for the sugar season from which the levy sugar has been released.

2. The levy sugar may delivered ex-factory or dispatch by rail as may be desired by the consignee. In case of despatch by rail, the producer shall apply for registration of wagon within three days of the receipt of dispatching instructions by him from the consignee. If the wagon quota is not immediately available, he shall apply for the registration as soon as the wagon quota becomes available. The producer shall also report the fact of non-availability of wagon quota to Joint Commissioner (Movt.), Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Krishi Bhavan, New Delhi.

3. The delivery/dispatch of levy sugar against this order shall commence from 01.02.2012 and delivery/dispatch of the entire quantity shall be completed by 31.03.2012.

4. The producers of the sugar mills at Sl. No. 1 to 3 on pre-page shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2010-2011 production) Order, 2011 dated 18.1.2011.

5. The transaction arising out of the direction shall be entirely and strictly on commercial basis between the producer and the consignee to whom levy sugar is delivered or dispatched in accordance with the instruction of the State Govt./FCI/Admn. Any claim or dispute arising out of this transaction shall be responsibility of the producer and no claim shall lie against the Central Govt. by reason of issue of this direction.

(Sanjay Kumar)
Director(Cost)

To

All concerned sugar mills.

Copy to :-

1. The Central Excise Officer concerned.
2. The Secretary to the Govt. of Orissa, Food and Civil Supplies Deptt., Bhubaneswar. The monthly levy sugar quota of your state is 8707.0 MT. However, a quantity of 8192.6 MT has been released for the month of March, 2012 after adjusting 563.7 MT allocated in excess for the month February, 2012 and also - MT has been allocated in excess to complete the rake load and that the same shall be adjusted against the levy sugar quota of your state to be released for the month of April, 2012. Besides, the quantity allocated through Order also includes - MT as part of your annual festival quota and a quantity of 49.3 MT levy sugar as levy sugar quota for Paramilitary personnel viz. CRPF, ITBP and NDRF for the month.
3. The Station Master concerned. The movement of the above sponsored by the Director (Cost), M/o Consumer Affairs, Food & PD, New Delhi and may be arranged accordingly.
4. Senior Technical Officer, CEIB, D/o Revenue, Janpath Bhavan, New Delhi.
5. Information officer, M/o CA & PD, PIB, New Delhi.
6. Facilitation Centre, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Section Officer (Release)/Deputy Director (Cost)/Factory file.
8. NFCSF/ISMA.

(Sanjay Kumar)
Director(Cost)

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Directorate of Sugar)

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated 25th January, 2012

No.SC-II/2011-2012/AO/March, 2012/Kerala

ORDER

In exercise of the powers conferred by Clause 2(1) of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 as amended vide GSR No. 420(E)/Ess. Co./Sugar dated 31st May, 1984 read with the Notification of the Govt. of India in the erstwhile Ministry of Agriculture & Irrigation (Deptt. of Food) No. GSR.697(E)/ Ess. Com/Sugar dated 17th December, 1979, I, Sanjay Kumar, Deputy Director (Cost), Directorate of Sugar, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, hereby direct that the producers/owners of the following sugar factories shall sell from their respective factories on receipt of this direction the specified quantity of levy sugar out of the production of the year 2010-2011 (October, 2010 to September, 2011) to the Government of Kerala or any person or organization duly authorized by such officer hereinafter referred to as the `Consignee` subject to the conditions listed in this order as per details below :-

Sl. No.	Code No.	Short Name	Qty. in M.T.
From Karnataka			
1	26201	MANDYA	1466.8 (One thousand four hundred sixty six decimal eight)
2	26401	BHADRAVATI	1517.6(One thousand five hundred seventeen decimal six)

OUT OF 2009-2010 SEASON'S PRODUCTION

The producers of the sugar mills on pre-page shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2009-2010 production) Order, 2010 dated 21.6.2010.

3	27001	RAIBAG	1131.2(One thousand one hundred thirty one decimal two)
		TOTAL	4115.6

Contd.2/

1. The quality of levy sugar to be supplied shall conform to ISS Grade produced by Sulphitation/Carbonation process and packed in 50 Kg. new jute bags.

1.1. In case any sugar mill is not having levy sugar stock in accordance with condition No. 1 above, then such sugar mill is directed to supply levy sugar from the new sugar season stocks, packed in 50 Kg. new jute bags, but the sugar mill shall be entitled only for the levy price applicable for the sugar season from which the levy sugar has been released.

2. The levy sugar may delivered ex-factory or dispatch by rail as may be desired by the consignee. In case of despatch by rail, the producer shall apply for registration of wagon within three days of the receipt of dispatching instructions by him from the consignee. If the wagon quota is not immediately available, he shall apply for the registration as soon as the wagon quota becomes available. The producer shall also report the fact of non-availability of wagon quota to Joint Commissioner (Movt.), Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Krishi Bhavan, New Delhi.

3. The delivery/dispatch of levy sugar against this order shall commence from 01.02.2012 and delivery/despatch of the entire quantity shall be completed by 31.03.2012.

4. The producers of the sugar mills at Sl. No 1 & 2 on pre-page shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2010-2011 production) Order, 2011 dated 18.1.2011.

5. The transaction arising out of the direction shall be entirely and strictly on commercial basis between the producer and the consignee to whom levy sugar is delivered or dispatched in accordance with the instruction of the State Govt./FCI/Admn. Any claim or dispute arising out of this transaction shall be responsibility of the producer and no claim shall lie against the Central Govt. by reason of issue of this direction.

(Sanjay Kumar)
Director(Cost)

To

All concerned sugar mills.

Copy to :-

1. The Central Excise Officer concerned.
2. The Secretary to the Govt. of Kerala, Food and Civil Supplies Deptt., Thiruvananthapuram. The monthly levy sugar quota of your state is 4103.0 MT. However, a quantity of 4115.6 MT has been released for the month of March, 2012 after adjusting - MT allocated in excess for the month February, 2012 and also - MT has been allocated in excess to complete the rake load and that the same shall be adjusted against the levy sugar quota of your state to be released for the month of April, 2012. Besides, the quantity allocated through Order also includes - MT as part of your annual festival quota and a quantity of 12.6 MT levy sugar as levy sugar quota for Paramilitary personnel viz. BSF & CRPF for the month.
3. The Station Master concerned. The movement of the above sponsored by the Deputy Director (Cost), M/o Consumer Affairs, Food & PD, New Delhi and may be arranged accordingly.
4. Senior Technical Officer, CEIB, D/o Revenue, Janpath Bhavan, New Delhi.
5. Information officer, M/o CA & PD, PIB, New Delhi.
6. Facilitation Centre, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Section Officer (Release)/Deputy Director (Cost)/Factory file.
8. NFCSF/ISMA.

(Sanjay Kumar)
Director(Cost)

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Directorate of Sugar)

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated 25th January, 2012.

No.SC-II/2011-2012/AO/March, 2012/FCI

ORDER

In exercise of the powers conferred by Clause 2(1) of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 as amended vide GSR No. 420(E)/Ess.Com./Sugar dated 31st May, 1984 read with the Notification of the Govt. of India in the erstwhile Ministry of Agriculture & Irrigation (Deptt. of Food) No. GSR.697(E)/Ess.Com/Sugar dated 17th December, 1979, I, Sanjay Kumar, Deputy Director (Cost), Directorate of Sugar, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, hereby direct that the producers/owners of the following sugar factories shall sell from their respective factories on receipt of this direction the specified quantity of levy sugar out of the production of the year 2011-2012 (October, 2011 to September, 2012) to Food Corporation of India or their nominee or where such nominee is an Office or Govt./Admn./FCI or any person or organization duly authorized by such officer hereinafter referred to as the `Consignee` subject to the conditions listed in this order as per details below :-

S.NO.	Code No.	Short Name	Quantity. in M.T.
		From Maharashtra	
1.	52201	YOGESHWARI	961.4(Nine hundred sixty one decimal four)

OUT OF 2010-2011 SEASON'S PRODUCTION

The producers of the sugar mills shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2010-2011 production) Order, 2011 dated 18.1.2011.

S.NO.	Code No.	Short Name	Qty. in M.T.
FROM MAHARASHTRA			
2	52201	YOGESHWARI	1726.6 (One thousand seven hundred twenty six decimal six)
3	16501	BHOGAWATI	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
4	16801	GADHINGLAJ	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
5	17201	HUPARI	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
FROM BIHAR			
	21701	HARINAGAR	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
FROM KARNATAKA			
6	35401	BIJAPUR	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)

OUT OF 2009-2010 SEASON'S PRODUCTION

The producers of the sugar mills shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2009-2010 production) Order, 2010 dated 21.6.2010.

		From Maharashtra	
7	14801	RAJ PHALTAN	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
18	14901	KRISHNA	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
9	15301	SHENDRE	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
10	52501	SHARAD	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
11	53002	KUNDAL	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
12	53004	SONGAON	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
13	16201	ICHALKARANJI	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
		TOTAL :-	32256.0

No.SC-II/2011-2012/AO/March, 2012/FCI
CONDITIONS FOR DELIVERY/DESPATCH

Dated 25th January, 2012

1. The quality of levy sugar to be supplied shall conform to ISS Grade produced by Sulphitation/Carbonation process and packed in 50 Kg. new jute bags.

1.1. In case any sugar mill is not having levy sugar stock in accordance with condition No. 1 above, then such sugar mill is directed to supply levy sugar from the new sugar season stocks, packed in 50 Kg. new jute bags, but the sugar mill shall be entitled only for the levy price applicable for the sugar season from which the levy sugar has been released.

2. The levy sugar may delivered ex-factory or dispatch by rail as may be desired by the consignee. In case of despatch by rail, the producer shall apply for registration of wagon within three days of the receipt of dispatching instructions by him from the consignee. If the wagon quota is not immediately available, he shall apply for the registration as soon as the wagon quota becomes available. The producer shall also report the fact of non-availability of wagon quota to Joint Commissioner (Movt.), Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Krishi Bhavan, New Delhi.

3. The delivery/dispatch of levy sugar against this order shall commence from 01.02.2012 and delivery/dispatch of the entire quantity shall be completed by 31.03.2012.

4. The producers of the sugar mills at Sl. No 1 on pre-page shall be entitled to the price for the sugar season 2011-2012 production as provided in Sugar (Price Determination for 2011-2012 production), when decided. Meanwhile, the producers of sugar shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2010-2011 production) Order, 2011 dated 18.1.2011.

5. The transaction arising out of the direction shall be entirely and strictly on commercial basis between the producer and the consignee to whom levy sugar is delivered or dispatched in accordance with the instruction of the State Govt./FCI/Admn. Any claim or dispute arising out of this transaction shall be responsibility of the producer and no claim shall lie against the Central Govt. by reason of issue of this direction.

(Sanjay Kumar)
Deputy Director (Cost)

To

All concerned sugar mills.

Copy to:-

1. The Central Excise Officer concerned.
2. The Manager (Sugar), FCI, New Delhi. (20 copies) – The monthly levy sugar quota of FCI operated States/UT Administrations viz. Andaman & Nicobar, Arunachal Pradesh, Assam, Jammu & Kashmir, Lakshadweep, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura is 34596MT. However, a quantity of 34457.3 MT has been released for the month of March, 2012 after adjusting 504.0 MT already allocated in excess for the month January, 2012 in respect of Andaman & Nicobar (389.0 MT) and Lakshadweep (115.0 MT), and a quantity of 340.7 MT already allocated in advance during February, 2012, and 486.7 MT has been allocated in excess to complete the rake load and the same shall be adjusted against the levy sugar quota of FCI operated States/UT Administrations to be released for the month of April, 2012. Besides, the quantity allocated through Order also includes - MT as part of annual festival quota for Jammu & Kashmir and a quantity of 706.0 MT as levy sugar quota for Paramilitary personnel viz. BSF, CRPF, SSB, ITBP and NDRF for the month.
3. The Station Master concerned. The movement of the above sponsored by the Deputy Deputy Director (Cost), M/o Consumer Affairs, Food & PD, New Delhi and may be arranged accordingly.
4. Senior Technical Officer, CEIB, D/o Revenue, Janpath Bhavan, New Delhi.
5. Information officer, M/o CA & PD, PIB, New Delhi.
6. Facilitation Centre, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Section Officer (Release)/Deputy Director (Cost)/Factory file.
8. NFCSF/ISMA.

(Sanjay Kumar)
Director(Cost)

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Directorate of Sugar)

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated 25th January, 2012

No.SC-II/2011-2012/AO/March, 2012/Misc.

ORDER

In exercise of the powers conferred by Clause 2(1) of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 as amended vide GSR No. 420(E)/Ess.Com./Sugar dated 31st May, 1984 read with the Notification of the Govt. of India in the erstwhile Ministry of Agriculture & Irrigation (Deptt. of Food) No.GSR.697(E)/Ess.Com./Sugar dated 17th December, 1979, I, Sanjay Kumar, Deputy Director (Cost), Directorate of Sugar, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, hereby direct that the producers/owners of the following sugar factories shall sell from their respective factories on receipt of this direction the specified quantity of levy sugar out of the production of the year 2011-2012 (October, 2011 to September, 2012) to the State Government/UTs/Royal Government of Bhutan or any person or organization duly authorized by such officer hereinafter referred to as the `Consignee` subject to the conditions listed in this order as per details below :-

Sl.No.	Code No.	Short Name	Qty. in M.T.	State
1	26001	VUYYURU	12.0 (Twelve)	YANAM
OUT OF 2009-2010 SEASON'S PRODUCTION				
The producers of the sugar mills shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2010-2011 production) Order, 2011 dated 18.1.2010.				
2	27701	K.R.NAGAR	1.6 (One decimal six)	MAHE
3	30201	THIRU AROORAN	52.9 (Fifty two decimal nine)	KARIKAL
4	56501	AKBARPUR	315.0 (Three hundred fifteen)	BHUTAN
5	31501	TISKA	120.0 (One hundred twenty)	GOA
6	00401	MORINDA	74.6 (Seventy four decimal four)	CHANDIGARH
7	31101	ARIYUR	178.0 (One hundred seventy eight)	PUDUCHERRY

OUT OF 2009-2010 SEASON'S PRODUCTION

The producers of the sugar mills shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2009-2010 production) Order, 2010 dated 21.6.2010.

8	10301	CHALTHAN	48.7 (Forty eight decimal seven)	DNH
9	10301	CHALTHAN	11.0 (Eleven)	DAMAN & DIU

Contd. 2/

CONDITIONS FOR DELIVERY/DESPATCH

1. The quality of levy sugar to be supplied shall conform to ISS Grade produced by Sulphitation/Carbonation process and packed in 50 Kg. new jute bags.

1.1. In case any sugar mill is not having levy sugar stock in accordance with condition No. 1 above, then such sugar mill is directed to supply levy sugar from the new sugar season stocks, packed in 50 Kg. new jute bags, but the sugar mill shall be entitled only for the levy price applicable for the sugar season from which the levy sugar has been released.

2. The levy sugar may delivered ex-factory or dispatch by rail as may be desired by the consignee. In case of despatch by rail, the producer shall apply for registration of wagon within three days of the receipt of dispatching instructions by him from the consignee. If the wagon quota is not immediately available, he shall apply for the registration as soon as the wagon quota becomes available. The producer shall also report the fact of non-availability of wagon quota to Joint Commissioner (Movt.), Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Krishi Bhavan, New Delhi.

3. The delivery/dispatch of levy sugar against this order shall commence from 01.02.2012 and delivery/dispatch of the entire quantity shall be completed by 31.03.2012.

4. The producers of the sugar mills at Sl. No 1 on pre-page shall be entitled to the price for the sugar season 2011-2012 production as provided in Sugar (Price Determination for 2011-2012 production), when decided. Meanwhile, the producers of sugar shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2010-2011 production) Order, 2011 dated 18.1.2011.

5. The transaction arising out of the direction shall be entirely and strictly on commercial basis between the producer and the consignee to whom levy sugar is delivered or dispatched in accordance with the instruction of the State Govt./FCI/Admn. Any claim or dispute arising out of this transaction shall be responsibility of the producer and no claim shall lie against the Central Govt. by reason of issue of this direction.

(Sanjay Kumar)
Deputy Director (Cost)

To

All concerned sugar mills.

Copy to :-

1. The Central Excise Officer concerned.
2. The Secretary to the concerned State Government/UTs/Royal Government of Bhutan, Food & Civil Supplies Deptt. The monthly levy sugar quota of Chandigarh, Dadar & Nagar Haveli, Goa, Daman & Diu, Puducherry, Karaikal, Mahe, Yanam and Royal Government of Bhutan is 62MT, 48MT, 120MT, 11MT, 178MT, 52MT, 1 MT, 12MT and 315MT respectively. However, 74.6MT, 48.7MT, 120MT, 11MT, 178MT, 52.9MT, 1.6MT, 12MT and 315MT has been released for the month of March, 2012 respectively after adjusting – MT allocated in excess for the month of February, 2012. Besides, the quantity allowed through order also includes – MT as part of annual festival quota and 12.6MT, 0.7MT, 0.9MT and 0.6MT levy sugar quota for Paramilitary personnel in Chandigarh, Dadar & Nagar Haveli, Karaikal and Mahe respectively for the month.
3. The Station Master concerned. The movement of the above sponsored by the Deputy Deputy Director (Cost), M/o Consumer Affairs & PD, New Delhi and may be arranged accordingly.
4. Senior Technical Officer, CEIB, D/o Revenue, Janpath Bhavan, New Delhi.
5. Information officer, M/o CA & PD, PIB, New Delhi.
6. Facilitation Centre, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Section Officer (Release)/Deputy Director (Cost)/Factory file.
8. NFCSF/ISMA.

(Sanjay Kumar)
Deputy Director (Cost)

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Directorate of Sugar)

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated 25th January, 2012

No.SC-II/2011-2012/AO/March, 2012/Sikkim

ORDER

In exercise of the powers conferred by Clause 2(1) of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 as amended vide GSR No. 420(E)/Ess. Co./Sugar dated 31st May, 1984 read with the Notification of the Govt. of India in the erstwhile Ministry of Agriculture & Irrigation (Deptt. of Food) No. GSR.697(E)/Ess.Com/Sugar dated 17th December, 1979, I, Sanjay Kumar, Deputy Director (Cost), Directorate of Sugar, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, hereby direct that the producer/owner of the sugar factory shall sell from their respective factories on receipt of this direction the specified quantity of levy sugar out of the production of the year 2011-2012 (October, 2011 to September, 2012) to the Government of Sikkim or any person or organization duly authorized by such officer hereinafter referred to as the `Consignee` subject to the conditions listed in this order as per details below :-

FROM WEST NENGAL

Sl.No.	Code No.	Short Name	Qty. in M.T.
1.	03002	RAMKOLA	10.6 (Ten decimal six)

Contd. 2/

No.SC-II/2011-2012/AO/March, 2012/Sikkim
CONDITIONS FOR DELIVERY/DESPATCH

Dated 25th January, 2012

1. The quality of levy sugar to be supplied shall conform to ISS Grade produced by Sulphitation/Carbonation process and packed in 50 Kg. new jute bags.

1.1. In case any sugar mill is not having levy sugar stock in accordance with condition No. 1 above, then such sugar mill is directed to supply levy sugar from the new sugar season stocks, packed in 50 Kg. new jute bags, but the sugar mill shall be entitled only for the levy price applicable for the sugar season from which the levy sugar has been released.

2. The levy sugar may delivered ex-factory or dispatch by rail as may be desired by the consignee. In case of despatch by rail, the producer shall apply for registration of wagon within three days of the receipt of dispatching instructions by him from the consignee. If the wagon quota is not immediately available, he shall apply for the registration as soon as the wagon quota becomes available. The producer shall also report the fact of non-availability of wagon quota to Joint Commissioner (Movt.), Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Krishi Bhavan, New Delhi.

3. The delivery/dispatch of levy sugar against this order shall commence from 01.02.2012 and delivery/dispatch of the entire quantity shall be completed by 31.03.2012.

4. The producers of the sugar mill on pre-page shall be entitled to the price for the sugar season 2011-2012 production as provided in Sugar (Price Determination for 2011-2012 production), when decided. Meanwhile, the producers of sugar shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2010-2011 production) Order, 2011 dated 18.1.2011.

5. The transaction arising out of the direction shall be entirely and strictly on commercial basis between the producer and the consignee to whom levy sugar is delivered or dispatched in accordance with the instruction of the State Govt./FCI/Admn. Any claim or dispute arising out of this transaction shall be responsibility of the producer and no claim shall lie against the Central Govt. by reason of issue of this direction.

(Sanjay Kumar)
Deputy Director (Cost)

To

03002/Ramkola

Copy to :-

1. The Central Excise Officer concerned.
2. The Secretary to the Govt. of Sikkim, Deptt. of Food and Civil Supplies, Gangtok. The monthly levy sugar quota of your state is 391.0 MT. However, a qty. of 10.6 MT has been released for the month of March, 2012, which includes the levy sugar quota of the State for March, 2012 and April, 2012 already allocated with quota for the month of February, 2012 and also – MT has been allocated to complete the rake load and the same shall be adjusted against April, 2012. Besides, the quantity allocated through order also includes - MT as part of your annual festival quota and a quantity of 10.6 MT levy sugar as levy sugar quota for Paramilitary personnel viz. SSB and ITBP for the month of March, 2012.
3. The Station Master concerned. The movement of the above sponsored by the Deputy Deputy Director (Cost), M/o Consumer Affairs & PD, New Delhi and may be arranged accordingly.
4. Senior Technical Officer, CEIB, D/o Revenue, Janpath Bhavan, New Delhi.
5. Information officer, M/o CA & PD, PIB, New Delhi.
6. Facilitation Centre, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Section Officer (Release)/Deputy Director (Cost)/Factory file.
8. NFCSF/ISMA.

(Sanjay Kumar)
Deputy Director (Cost)

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /पंजाब

दिनांक 25 जनवरी, 2012

आदेश

भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग की दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.697(अ.)/आ.व./चीनी के साथ पठित सा.का.नि. 420 (अ.)/आ.व./चीनी, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार, उप निदेशक (लागत), शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि निम्नलिखित चीनी मिलों के उत्पादक/मालिक अपनी संबंधित मिलों से इस निर्देश के प्राप्त होने पर 2010-2011 (अक्टूबर, 2010 से सितम्बर, 2011) के उत्पादन में से लेवी चीनी की एक विनिर्दिष्ट मात्रा को पंजाब सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकारी हो जिसे बाद में प्रेषिती कहा जाएगा बशर्ते कि वह निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस आदेश में सूचीबद्ध शर्तें पूरी करता हो:-

क्रम सं०	कोड संख्या	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
1.	64801	KIRI	126.9 (One hundred twenty six decimal nine)

OUT OF 2009-2010 SEASON'S PRODUCTION

The producers of the sugar mills shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2009-2010 production) Order, 2010 dated 21.6.2010.

2.	00301	FAZILKA	184.4 One hundred eighty four decimal four)
3.	00901	DHURI	590.1(Five hundred ninety decimal one)
4.	36001	BABA BAKALA	667.8(Six hundred sixty seven decimal eight)
5.		TOTAL	1569.2

सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए शर्तें:

1. सल्फीटेशन/कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित, आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी की गुणवत्ता की आई.एस.एस. ग्रेड की पुष्टि हो और 50 किलोग्राम नए जूट के बोरे में भरी जाए।
 - 1.1 यदि किसी चीनी मिल के पास उपरोक्त शर्त संख्या 1 के अनुसार लेवी चीनी स्टॉक नहीं है तो ऐसी चीनी मिलों को निदेश दिया जाता है कि नए चीनी मौसम भंडारण से 50 किलोग्राम वाले नए जूट के बोरों में पैक की गई लेवी चीनी की आपूर्ति करें, लेकिन चीनी मिल उस चीनी मौसम के लिए लागू लेवी मूल्य की पात्र होगी जिससे लेवी चीनी की निर्मुक्ति की गई है।
2. लेवी चीनी की फैक्ट्री से सुपुर्दगी अथवा रेल द्वारा प्रेषण, जैसी भी प्रेषिती की इच्छा हो, किया जा सकता है। यदि प्रेषण रेल द्वारा किया जाता है तो उत्पादक द्वारा प्रेषिती से प्रेषण निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वैगन/वैगनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि वैगन कोटा तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह वैगन कोटा के उपलब्ध होते ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उत्पादक, वैगन कोटा की अनुपलब्धता की रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (संचलन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को देगा।
3. इस आदेश के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी/प्रेषण 01.02.2012 से प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण मात्रा की सुपुर्दगी/प्रेषण 31.03.2012 तक पूर्ण होना चाहिए।
4. पूर्व पृष्ठ पर क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2010-2011 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 दिनांक 18.1.2011 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।
5. इस निर्देश के परिणामस्वरूप उत्पादक और प्रेषिती, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसरण में लेवी चीनी सुपुर्दगी अथवा प्रेषिती की जाती है, के बीच लेन-देन पूर्ण रूप से वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। इन लेन-देन से उत्पन्न कोई भी दावा अथवा विवाद की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी तथा इस निर्देश को जारी किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

सेवा में,

सभी सम्बन्धित चीनी मिलें.

प्रति:-

1. संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी.
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़. आपके राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 1385.0 मी0 टन है। तथापि, फरवरी, 2012 माह के लिए अधिक आवंटित शून्य मी0 टन के समायोजन के पश्चात् मार्च, 2012 माह के लिए 1569.2 मी0 टन की मात्रा रिलीज की गई है तथा इसके रिक लोड को पूरा करने के लिए शून्य मी0 टन का अधिक आवंटन भी किया गया है जिसका समायोजन अप्रैल, 2012 माह के लिए रिलीज किए जाने वाले आपके राज्य के लेवी चीनी कोटे के प्रति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश के जरिये आवंटित कोटे में आपके वार्षिक त्रयोहार कोटे के एक भाग के रूप में - मी0 टन और इस माह के लिए अर्द्धसैनिक बलों यथा बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के कार्मिकों के लिए लेवी चीनी कोटे के रूप में 184.2 मी0 टन लेवी चीनी की मात्रा भी शामिल है।
3. संबंधित स्टेशन मास्टर। उपरोक्त का संचलन उप निदेशक (लागत), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है.
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली.
5. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
6. सुविधा केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली/अनुभाग अधिकारी(रिलीज)/उप निदेशक (लागत)/राज्य सरकार/फैक्ट्री फाइल./एन.एफ.सी.एस.एफ./इस्मा.

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /हरियाणा

दिनांक 25 जनवरी, 2012

आदेश

भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग की दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.697(अ.)/आ.व./चीनी के साथ पठित सा.का.नि. 420 (अ.)/आ.व./चीनी, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार, उप निदेशक (लागत), शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि निम्नलिखित चीनी मिलों के उत्पादक/मालिक अपनी संबंधित मिलों से इस निर्देश के प्राप्त होने पर 2011-2012 (अक्टूबर, 2011 से सितम्बर, 2012) के उत्पादन में से लेवी चीनी की एक विनिर्दिष्ट मात्रा को हरियाणा सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकारी हो जिसे बाद में प्रेषिती कहा जाएगा बशर्ते कि वह निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस आदेश में सूचीबद्ध शर्तें पूरी करता हो:-

क्रम सं०	कोड संख्या	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
1	01101	ROHTAK	217.9 (Two hundred seventeen decimal nine)
2	01201	PANIPAT	217.9(Two hundred seventeen decimal nine)
3	01301	KARNAL	217.9(Two hundred seventeen decimal nine)
4	01401	SONEPAT	217.9(Two hundred seventeen decimal nine)
5	01501	SHAHABAD	217.9(Two hundred seventeen decimal nine)
6	01601	PALWAL	217.9(Two hundred seventeen decimal nine)
7	01701	JIND	217.9(Two hundred seventeen decimal nine)
8	33801	KAITHAL	217.9(Two hundred seventeen decimal nine)
9	37701	NARAINGARH	217.9(Two hundred seventeen decimal nine)
10	42202	BHADSON	217.9(Two hundred seventeen decimal nine)
11	42701	GOHANA	218.7 (Two hundred eighteen decimal seven)

OUT OF 2010-2011 SEASON'S PRODUCTION

The producers of the sugar mills shall be entitled to the price as provided in Sugar (Price Determination for 2010-2011 production) Order, 2011 dated 18.1.2011.

12.	62301	PHAPHRANA	122.7 (One hundred twenty two decimal seven)
13.	33901	MEHAM	33.9 (Thirty three decimal nine)
		TOTAL :	2554.3

कृ.पृ.उ.

सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए शर्तें:

1. सल्फीटेशन/कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित, आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी की गुणवत्ता की आई.एस.एस. ग्रेड की पुष्टि हो और 50 किलोग्राम नए जूट के बोरे में भरी जाए।
 - 1.1 यदि किसी चीनी मिल के पास उपरोक्त शर्त संख्या 1 के अनुसार लेवी चीनी स्टॉक नहीं है तो ऐसी चीनी मिलों को निदेश दिया जाता है कि नए चीनी मौसम भंडारण से 50 किलोग्राम वाले नए जूट के बोरो में पैक की गई लेवी चीनी की आपूर्ति करें, लेकिन चीनी मिल उस चीनी मौसम के लिए लागू लेवी मूल्य की पात्र होगी जिससे लेवी चीनी की निर्मुक्ति की गई है।
2. लेवी चीनी की फैक्ट्री से सुपुर्दगी अथवा रेल द्वारा प्रेषण, जैसी भी प्रेषिती की इच्छा हो, किया जा सकता है। यदि प्रेषण रेल द्वारा किया जाता है तो उत्पादक द्वारा प्रेषिती से प्रेषण निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वैगन/वैगनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि वैगन कोटा तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह वैगन कोटा के उपलब्ध होते ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उत्पादक, वैगन कोटा की अनुपलब्धता की रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (संचलन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को देगा।
3. इस आदेश के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी/प्रेषण 01.02.2012 से प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण मात्रा की सुपुर्दगी/प्रेषण 31.03.2012 तक पूर्ण होना चाहिए।
4. पूर्व पृष्ठ पर क्रम संख्या 1 से 11 पर उल्लिखित चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2011-2012 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 2012 में निर्धारित मूल्य, जब निर्धारण किया जाएगा, के पात्र होंगे। इस बीच चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2010-2011 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 दिनांक 18.1.2011 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।
5. इस निर्देश के परिणामस्वरूप उत्पादक और प्रेषिती, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसरण में लेवी चीनी सुपुर्द अथवा प्रेषित की जाती है, के बीच लेन-देन पूर्ण रूप से वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। इन लेन-देन से उत्पन्न कोई भी दावा अथवा विवाद की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी तथा इस निर्देश को जारी किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

सेवा में,

सभी चीनी मिलें।

प्रति:-

1. संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी।
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़। आपके राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 2485.0 मी0 टन है। तथापि, फरवरी, 2012 माह के लिए अधिक आवंटित शून्य मी0 टन के समायोजन के पश्चात् मार्च, 2012 माह के लिए 2554.3 मी0 टन की मात्रा रिलीज की गई है तथा इसके रिक लोड को पूरा करने के लिए शून्य मी0 टन का अधिक आवंटन भी किया गया है जिसका समायोजन अप्रैल, 2012 माह के लिए रिलीज किए जाने वाले आपके राज्य के लेवी चीनी कोटे के प्रति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश के जरिये आवंटित कोटे में आपके वार्षिक त्यौहार कोटे के एक भाग के रूप में शून्य मी0 टन और इस माह के लिए अर्द्धसैनिक बलों यथा बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के कार्मिकों के लिए लेवी चीनी कोटे के रूप में 69.3 मी0 टन लेवी चीनी की मात्रा भी शामिल है।
3. संबंधित स्टेशन मास्टर। उपरोक्त का संचलन उप निदेशक (लागत), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है।
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
5. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सुविधा केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. अनुभाग अधिकारी(रिलीज)/उप निदेशक (लागत)/राज्य सरकार/फैक्ट्री फाइल।
8. एन.एफ.सी.एस.एफ./इस्मा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /राजस्थान

दिनांक 25 जनवरी, 2012

आदेश

भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग की दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.697(अ.)/आ.व./चीनी के साथ पठित सा.का.नि. 420 (अ.)/आ.व./चीनी, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार, उप निदेशक (लागत), शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि निम्नलिखित चीनी मिलों के उत्पादक/मालिक अपनी संबंधित मिलों से इस निर्देश के प्राप्त होने पर 2010-2011 (अक्टूबर, 2010 से सितम्बर, 2011) के उत्पादन में से लेवी चीनी की एक विनिर्दिष्ट मात्रा को राजस्थान सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकारी हो जिसे बाद में प्रेषिती कहा जाएगा बशर्ते कि वह निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस आदेश में सूचीबद्ध शर्तें पूरी करता हो:-

क्रम सं०	कोड संख्या	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
		महाराष्ट्र से	
1.	19301	PUSAD	1269.0 (One thousand two hundred sixty nine)
2.	20901	MANJARA	1107.2 (One thousand one hundred seven decimal two)

2009-2010 मौसम के उत्पादन में से

चीनी के उत्पादक चीनी (2009-2010 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, दिनांक 21.06.2010 में यथानिर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।

		महाराष्ट्र से	
3.	14801	RAJ PHALTAN	1536.6 (One thousand five hundred thirty six decimal six)
4.	32301	GOLEGAON	2124.1(Two thousand one hundred twenty four decimal one)
5.	13201	VRIDESHWAR	724.7(Seven hundred twenty four decimal seven)
6	20901	MANJARA	707.7 (Seven hundred seven decimal seven)
		TOTAL :	7469.3

कृ.पृ.उ.

सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए शर्तें:

1. सल्फीटेशन/कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित, आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी की गुणवत्ता की आई.एस.एस. ग्रेड की पुष्टि हो और 50 किलोग्राम नए जूट के बोरे में भरी जाए।
 - 1.1 यदि किसी चीनी मिल के पास उपरोक्त शर्त संख्या 1 के अनुसार लेवी चीनी स्टॉक नहीं है तो ऐसी चीनी मिलों को निदेश दिया जाता है कि नए चीनी मौसम भंडारण से 50 किलोग्राम वाले नए जूट के बोरों में पैक की गई लेवी चीनी की आपूर्ति करें, लेकिन चीनी मिल उस चीनी मौसम के लिए लागू लेवी मूल्य की पात्र होगी जिससे लेवी चीनी की निर्मुक्ति की गई है।
2. लेवी चीनी की फैक्ट्री से सुपुर्दगी अथवा रेल द्वारा प्रेषण, जैसी भी प्रेषिती की इच्छा हो, किया जा सकता है। यदि प्रेषण रेल द्वारा किया जाता है तो उत्पादक द्वारा प्रेषिती से प्रेषण निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वैगन/वैगनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि वैगन कोटा तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह वैगन कोटा के उपलब्ध होते ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उत्पादक, वैगन कोटा की अनुपलब्धता की रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (संचलन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को देगा।
3. इस आदेश के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी/प्रेषण 01.02.2012 से प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण मात्रा की सुपुर्दगी/प्रेषण 31.03.2012 तक पूर्ण होना चाहिए।
4. पूर्व पृष्ठ पर क्रम संख्या 1 व 2 पर उल्लिखित चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2010-2011 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 दिनांक 18.1.2011 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।
5. इस निर्देश के परिणामस्वरूप उत्पादक और प्रेषिती, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसरण में लेवी चीनी सुपुर्द अथवा प्रेषित की जाती है, के बीच लेन-देन पूर्ण रूप से वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। इन लेन-देन से उत्पन्न कोई भी दावा अथवा विवाद की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी तथा इस निर्देश को जारी किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

सेवा में,

सभी सम्बन्धित चीनी मिलें.

प्रति:-

1. संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी.
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर. आपके राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 7342.0 मी0 टन है। तथापि, फरवरी, 2012 माह के लिए अधिक आवंटित शून्य मी0 टन के समायोजन के पश्चात् मार्च, 2012 माह के लिए 7469.3 मी0 टन की मात्रा रिलीज की गई है तथा इसके रेक लोड को पूरा करने के लिए शून्य मी0 टन का अधिक आवंटन भी किया गया है जिसका समायोजन अप्रैल, 2012 माह के लिए रिलीज किए जाने वाले आपके राज्य के लेवी चीनी कोटे के प्रति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश के जरिये आवंटित कोटे में आपके वार्षिक त्रयोहार कोटे के एक भाग के रूप में शून्य मी0 टन और इस माह के लिए अर्द्धसैनिक बलों यथा बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के कार्मिकों के लिए लेवी चीनी कोटे के रूप में 127.3 मी0 टन लेवी चीनी की मात्रा भी शामिल है।
3. संबंधित स्टेशन मास्टर। उपरोक्त का संचलन उप निदेशक (लागत), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है.
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली.
5. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
6. सुविधा केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली.
7. अनुभाग अधिकारी(रिलीज)/उप निदेशक (लागत)/राज्य सरकार/फैक्ट्री फाइल.
8. एन.एफ.सी.एस.एफ./इसमा.

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /महाराष्ट्र

दिनांक 25 जनवरी, 2012

आदेश

भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग की दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.697(अ.)/आ.व./चीनी के साथ पठित सा.का.नि. 420 (अ.)/आ.व./चीनी, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार, उप निदेशक (लागत), शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि निम्नलिखित चीनी मिलों के उत्पादक/मालिक अपनी संबंधित मिलों से इस निर्देश के प्राप्त होने पर 2009-2010 (अक्टूबर, 2009 से सितम्बर, 2010) के उत्पादन में से लेवी चीनी की एक विनिर्दिष्ट मात्रा को महाराष्ट्र सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकारी हो जिसे बाद में प्रेषिती कहा जाएगा बशर्ते कि वह निम्नलिखित ब्याँरे के अनुसार इस आदेश में सूचीबद्ध शर्तें पूरी करता हो:-

क्रम सं०	कोड संख्या	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
1.	14801	RAJ PHALTAN	496.9 (Four hundred ninety six decimal nine)
2.	14901	KRISHNA	293.8(Two hundred ninety three decimal eight)
3.	15101	MARALI	58.6(Fifty eight decimal six)
4.	15201	SAHYADRI	605.8 (Six hundred five decimal eight)
5.	15301	SHENDRE	381.0 (Three hundred eighty one)
6.	16201	ICHALKARANJI	545.2 (Five hundred forty five decimal two)
7.	52501	SHARAD	524.8 (Five hundred twenty four decimal eight)
8.	53002	KUNDAL	208.4(Two hundred eight decimal four)
9.	53005	TAMBALE	57.5(Fifty seven decimal five)
10.	60701	SHETPHALGADE	565.7 (Five hundred sixty five decimal seven)
11.	20601	SAMARTH	112.6 (One hundred twelve decimal six)
12.	20901	MANJARA	52.3(Fifty two decimal three)
13.	32301	GOLEGAON	52.3(Fifty two decimal three)
14.	38901	HINGANGHAT	101.4 (One hundred one decimal four)
15.	39801	CHIKALI	53.5(Fifty three decimal five)
16.	46401	SIPORA BAZAR	180.8 (One hundred eighty decimal eight)
17.	46801	MURUM	82.6 (Eighty two decimal six)
18.	51401	DWARKADHISH	85.8 (Eighty five decimal eight)
19.	52007	DINDAYALNAGAR	98.1 (Ninety eight decimal one)
20.	52009	KASHEGAON	56.1 (Fifty six decimal one)
21.	52201	YOGESHWARI	129.7 (One hundred twenty nine decimal seven)
22.	52401	PAWARWADI	261.8 (Two hundred sixty one decimal eight)
23.	60801	CHORAKHALI	228.1(Two hundred twenty eight decimal one)
24.	11901	KARAMVEER	76.3 (Seventy six decimal three)
25.	12101	PALSE	177.0 (One hundred seventy seven)
26.	12201	VITHEWADI	1301.2 (One thousand three hundred one decimal two)
27.	12501	GANESHNAGAR	141.5 (One hundred forty one decimal five)
28.	12701	PRAVARANAGAR	605.6 (Six hundred five decimal six)
29.	12801	RAHURI	85.9 (Eighty five decimal nine)
30.	13001	SANGAMNER	197.9 (One hundred ninety seven decimal nine)
31.	13201	VRIDHESWAR	69.0(Sixty nine)

32.	13401	SONAI	447.1 (Four hundred forty seven decimal one)
33.	13501	PARNER	93.9 (Ninety three decimal nine)
34.	13601	NIRA	577.8 (Five hundred seventy seven decimal eight)
35.	13701	MALEGAON	520.5 (Five hundred twenty decimal five)
36.	13801	BHAVANINAGAR	299.8 (Two hundred ninety nine decimal eight)
37.	14001	PATAS	266.2 (Two hundred sixty six decimal two)
38.	14301	SADASHIVNAGAR	57.4 (Fifty seven decimal four)
39.	14401	KUMATHE	57.8 (Fifty seven decimal eight)
40.	17701	MALINAGAR	56.2 (Fifty six decimal two)
41.	18001	KOLHAPUR	61.7 (Sixty one decimal seven)
42.	33101	INDAPUR	725.5 (Seven hundred twenty five decimal five)
43.	33601	TASGAON	124.2 (One hundred twenty four decimal two)
44.	34001	RAJGAD	58.3 (Fifty eight decimal three)
45.	35501	SANT DHAMAJI	165.0 (One hundred sixty five)
46.	52601	SAHAJINAGAR	180.5 (One hundred eighty decimal five)
47.	52801	BHILARWADI	563.3(Five hundred sixty three decimal three)
48.	55301	TAKALIWADI	535.7 (Five hundred thirty five decimal seven)
49.	56401	PATETHAN	273.0 (Two hundred seventy three)
50.	61401	MHAISGAON	397.0 (Three hundred ninety seven)
51.	61701	SONARI	139.5 (One hundred thirty nine decimal five)
52.	63301	ALEGAON	55.6 (Fifty five decimal six)
53.	12301	SANJIVANI	290.6 (Two hundred ninety decimal six)
54.	40001	SHIRUR	128.5 (One hundred twenty eight decimal five)
		TOTAL :	13962.3

कृ.पृ.३.

सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए शर्तें:

1. सल्फीटेशन/कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित, आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी की गुणवत्ता की आई.एस.एस. ग्रेड की पुष्टि हो और 50 किलोग्राम नए जूट के बोरे में भरी जाए।
 - 1.1 यदि किसी चीनी मिल के पास उपरोक्त शर्त संख्या 1 के अनुसार लेवी चीनी स्टॉक नहीं है तो ऐसी चीनी मिलों को निदेश दिया जाता है कि नए चीनी मौसम भंडारण से 50 किलोग्राम वाले नए जूट के बोरों में पैक की गई लेवी चीनी की आपूर्ति करें, लेकिन चीनी मिल उस चीनी मौसम के लिए लागू लेवी मूल्य की पात्र होगी जिससे लेवी चीनी की निर्मुक्ति की गई है।
2. लेवी चीनी की फैक्ट्री से सुपुर्दगी अथवा रेल द्वारा प्रेषण, जैसी भी प्रेषिती की इच्छा हो, किया जा सकता है। यदि प्रेषण रेल द्वारा किया जाता है तो उत्पादक द्वारा प्रेषिती से प्रेषण निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वैगन/वैगनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि वैगन कोटा तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह वैगन कोटा के उपलब्ध होते ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उत्पादक, वैगन कोटा की अनुपलब्धता की रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (संचलन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को देगा।
3. इस आदेश के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी/प्रेषण 01.02.2012 से प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण मात्रा की सुपुर्दगी/प्रेषण 31.03.2012 तक पूर्ण होना चाहिए।
4. पूर्व पृष्ठ पर उल्लिखित चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2009-2010 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2010 दिनांक 21.06.2010 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।
5. इस निर्देश के परिणामस्वरूप उत्पादक और प्रेषिती, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसरण में लेवी चीनी सुपुर्द अथवा प्रेषित की जाती है, के बीच लेन-देन पूर्ण रूप से वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। इन लेन-देन से उत्पन्न कोई भी दावा अथवा विवाद की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी तथा इस निर्देश को जारी किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

सेवा में,

सभी सम्बन्धित चीनी मिलें.

प्रति:-

1. संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी.
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई. आपके राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 13917.5 मी0 टन है। तथापि, फरवरी, 2012 माह के लिए अधिक आवंटित शून्य मी0 टन के समायोजन के पश्चात् मार्च, 2012 माह के लिए 13962.3 मी0 टन की मात्रा रिलीज की गई है तथा इसके रिक लोड को पूरा करने के लिए शून्य मी0 टन का अधिक आवंटन भी किया गया है जिसका समायोजन अप्रैल, 2012 माह के लिए रिलीज किए जाने वाले आपके राज्य के लेवी चीनी कोटे के प्रति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश के जरिये आवंटित कोटे में आपके वार्षिक त्यौहार कोटे के एक भाग के रूप में - मी0 टन और इस माह के लिए अर्द्धसैनिक बलों यथा बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के कार्मिकों के लिए लेवी चीनी कोटे के रूप में 44.8 मी0 टन लेवी चीनी की मात्रा भी शामिल है।
3. संबंधित स्टेशन मास्टर। उपरोक्त का संचलन उप निदेशक (लागत), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है.
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली.
5. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
6. सुविधा केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली.
7. अनुभाग अधिकारी(रिलीज)/उप निदेशक (लागत)/राज्य सरकार/फैक्ट्री फाइल.
8. एन.एफ.सी.एस.एफ./इस्मा.

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /उत्तर प्रदेश

दिनांक 25 जनवरी, 2012

आदेश

भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग की दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.697(अ.)/आ.व./चीनी के साथ पठित सा.का.नि. 420 (अ.)/आ.व./चीनी, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार, उप निदेशक (लागत), शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि निम्नलिखित चीनी मिलों के उत्पादक/मालिक अपनी संबंधित मिलों से इस निर्देश के प्राप्त होने पर 2010-2011 (अक्टूबर, 2010 से सितम्बर, 2011) के उत्पादन में से लेवी चीनी की एक विनिर्दिष्ट मात्रा को उत्तर प्रदेश सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकारी हो जिसे बाद में प्रेषिती कहा जाएगा बशर्त कि वह निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस आदेश में सूचीबद्ध शर्तें पूरी करता हो:-

क्रम सं०	कोड संख्या	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
1.	02204	BULAND SHAHR	150.0 (One hundred fifty)
2.	02205	SAHARANPUR	416.3 (Four hundred sixteen decimal three)
3.	02206	ROHANA KALAN	135.4 (One hundred thirty five decimal four)
4.	02601	SARSAWA	419.0 (Four hundred nineteen)
5.	02701	NANAUTA	405.1 (Four hundred five decimal one)
6.	02901	DAURALA	430.7(Four hundred thirty decimal seven)
7.	03701	SIMBHAOLI	520.3(Five hundred twenty decimal three)
8.	36301	AGAUTA	440.1 (Four hundred forty decimal one)
9.	47701	TODARPUR	468.8 (Four hundred sixty eight decimal eight)
10.	62801	BIKAPUR	97.2 (Ninety seven decimal two)
11.	02208	BIJNOR	86.7 (Eighty six decimal seven)
12.	04201	GAJRAULA	143.0 (One hundred forty three)
13.	04801	HARDUAGANJ	71.8 (Seventy one decimal eight)
14.	05201	KAIMGANJ	119.4 (One hundred nineteen decimal four)
15.	05601	SAMPURANNAGAR	148.5 (One hundred forty eight decimal five)
16.	05701	SEMIKHERA	258.1 (Two hundred fifty eight decimal one)
17.	05801	DHAMPUR	355.4 (Three hundred fifty five decimal four)
18.	06102	PILIBHIT	397.4 (Three hundred ninety seven decimal four)
19.	06601	BAHERI	352.0 (Three hundred fifty two)
20.	57401	PUDRIKHURD	550.0 (Five hundred fifty)
21.	57801	BARKHERA	726.3 (Seven hundred twenty six decimal three)
22.	59301	KUMBHI	455.0 (Four hundred fifty five)
23.	59501	BELWARA	434.7 (Four hundred thirty four decimal seven)
24.	60301	MAQSOODAPUR	249.1 (Two hundred forty nine decimal one)
25.	60401	GULARIA	684.2 (Six hundred eighty four decimal two)
26.	06301	GOLA	850.0 (Eight hundred fifty)
27.	06801	HARGAON	581.8 (Five hundred eighty one decimal eight)
28.	08502	BASTI	489.8 (Four hundred eighty nine decimal eight)
29.	08601	BISWAN	737.5 (Seven hundred thirty seven decimal five)
30.	08801	K.M.SUGAR	250.0 (Two hundred fifty)
31.	08901	BALRAMPUR	307.4 (Three hundred seven decimal four)
32.	09001	TULSIPUR	759.3 (Seven hundred fifty nine decimal three)
33.	41901	RAMGARH	528.4 (Five hundred twenty eight decimal four)

34.	54501	HAIDERGARH	428.9 (Four hundred twenty eight decimal nine)
35.	57501	MANKAPUR	795.6 (Seven hundred ninety five decimal six)
36.	60601	KUNDARIKHI	434.9 (Four hundred thirty four decimal nine)

2009-2010 मौसम के उत्पादन में से

चीनी के उत्पादक चीनी (2009-2010 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, दिनांक 21.06.2010 में यथानिर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।

क्रम सं०	कोड संख्या	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
37.	03601	MODINAGAR	1157.5 (One thousand one hundred fifty seven decimal five)
38.	03602	MALAKPUR	2849.8(Two thousand eight hundred forty nine decimal eight)
39.	05101	PURANPUR	24.7 (Twenty four decimal seven)
40.	05301	BADAUN	45.2 (Forty five decimal two)
41.	05501	BELRAYAN	278.7 (Two hundred seventy eight decimal seven)
42.	06001	RAJA-KA- SAHASPUR	2448.7 (Two thousand four hundred forty eight decimal seven)
43.	06701	NEOLI	1594.6 (One thousand five hundred ninety four decimal six)
44.	34501	DHANAURA	1114.2(One thousand one hundred fourteen decimal two)
45.	47601	OSWAL OVERSEAS	1632.7 (One thousand six hundred thirty two decimal seven)
46.	48401	AGWANPUR	1838.1 (One thousand eight hundred thirty eight decimal one)
47.	59401	JAWAHARPUR	50.9 (Fifty decimal nine)
48.	02216	JARWAL	469.0 (Four hundred sixty nine)
49.	02219	SISWABAZAR	30.1 (Thirty decimal one)
50.	03702	CHILWARIA	601.8 (Six hundred one decimal eight)
51.	07401	GHOSI	299.1(Two hundred ninety nine decimal one)
52.	07501	SULTANPUR	89.9 (Eighty nine decimal nine)
53.	07601	MAHMUDABAD	771.5 (Seven hundred seventy one decimal five)
54.	08001	PADRAUNA	407.6 (Four hundred seven decimal six)
55.	08501	WALTERGANJ	416.1 (Four hundred sixteen decimal one)
56.	37301	GADAURA	2253.5 (Two thousand two hundred fifty three decimal five)
57.	60001	NIGOHI	108.3 (One hundred eight decimal three)
		TOTAL :	33160.1

कृ.पृ.उ.

सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए शर्तें:

1. सल्फीटेशन/कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित, आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी की गुणवत्ता की आई.एस.एस. ग्रेड की पुष्टि हो और 50 किलोग्राम नए जूट के बोरे में भरी जाए।
 - 1.1 यदि किसी चीनी मिल के पास उपरोक्त शर्त संख्या 1 के अनुसार लेवी चीनी स्टॉक नहीं है तो ऐसी चीनी मिलों को निदेश दिया जाता है कि नए चीनी मौसम भंडारण से 50 किलोग्राम वाले नए जूट के बोरों में पैक की गई लेवी चीनी की आपूर्ति करें, लेकिन चीनी मिल उस चीनी मौसम के लिए लागू लेवी मूल्य की पात्र होगी जिससे लेवी चीनी की निर्मुक्ति की गई है।
2. लेवी चीनी की फैक्ट्री से सुपुर्दगी अथवा रेल द्वारा प्रेषण, जैसी भी प्रेषिती की इच्छा हो, किया जा सकता है। यदि प्रेषण रेल द्वारा किया जाता है तो उत्पादक द्वारा प्रेषिती से प्रेषण निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वैगन/वैगनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि वैगन कोटा तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह वैगन कोटा के उपलब्ध होते ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उत्पादक, वैगन कोटा की अनुपलब्धता की रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (संचलन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को देगा।
3. इस आदेश के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी/प्रेषण 01.02.2012 से प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण मात्रा की सुपुर्दगी/प्रेषण 31.03.2012 तक पूर्ण होना चाहिए।
4. पूर्व पृष्ठ पर क्रम संख्या 1 से 36 पर उल्लिखित चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2010-2011 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 दिनांक 18.1.2011 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।
5. इस निर्देश के परिणामस्वरूप उत्पादक और प्रेषिती, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसरण में लेवी चीनी सुपुर्द अथवा प्रेषित की जाती है, के बीच लेन-देन पूर्ण रूप से वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। इन लेन-देन से उत्पन्न कोई भी दावा अथवा विवाद की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी तथा इस निर्देश को जारी किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

सेवा में,

सभी सम्बन्धित चीनी मिलें.

प्रति:-

1. संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी.
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ. आपके राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 33013.0 मी0 टन है। तथापि, फरवरी, 2012 माह के लिए अधिक आवंटित शून्य मी0 टन के समायोजन के पश्चात् मार्च, 2012 माह के लिए 33160.1 मी0 टन की मात्रा रिलीज की गई है तथा इसके रिक लोड को पूरा करने के लिए शून्य मी0 टन का अधिक आवंटन भी किया गया है जिसका समायोजन अप्रैल, 2012 माह के लिए रिलीज किए जाने वाले आपके राज्य के लेवी चीनी कोटे के प्रति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश के जरिये आवंटित कोटे में आपके वार्षिक त्रयोहार कोटे के एक भाग के रूप में शून्य मी0 टन और इस माह के लिए अर्द्धसैनिक बलों यथा बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के कार्मिकों के लिए लेवी चीनी कोटे के रूप में 147.1 मी0 टन लेवी चीनी की मात्रा भी शामिल है।
3. संबंधित स्टेशन मास्टर। उपरोक्त का संचलन उप निदेशक (लागत), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है.
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली.
5. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
6. सुविधा केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली.
7. अनुभाग अधिकारी(रिलीज)/उप निदेशक (लागत)/राज्य सरकार/फैक्ट्री फाइल.
8. एन.एफ.सी.एस.एफ./इस्मा.

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /बिहार

दिनांक 25 जनवरी, 2012

आदेश

भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग की दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.697(अ.)/आ.व./चीनी के साथ पठित सा.का.नि. 420 (अ.)/आ.व./चीनी, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार, उप निदेशक (लागत), शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि निम्नलिखित चीनी मिलों के उत्पादक/मालिक अपनी संबंधित मिलों से इस निर्देश के प्राप्त होने पर 2010-2011 (अक्टूबर, 2011 से सितम्बर, 2012) के उत्पादन में से लेवी चीनी की एक विनिर्दिष्ट मात्रा को बिहार सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकारी हो जिसे बाद में प्रेषिती कहा जाएगा बशर्ते कि वह निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस आदेश में सूचीबद्ध शर्तें पूरी करता हो:-

क्रम सं०	कोड संख्या	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
		महाराष्ट्र से	
1.	32301	GOLEGAON	2115.9 (Two thousand one hundred fifteen decimal nine)
2	35101	PHULAMBARI	2688.0(Two thousand six hundred eighty eight)
3	51401	DWARKADHISH	2688.0(Two thousand six hundred eighty eight)
4	52009	KASHEGAON	2688.0(Two thousand six hundred eighty eight)
5	46801	MURUM	2688.0(Two thousand six hundred eighty eight)
6	52401	PAWARWADI	2688.0(Two thousand six hundred eighty eight)
7	13601	NIRA	2688.0(Two thousand six hundred eighty eight)
8	14101	JUNNAR	2688.0(Two thousand six hundred eighty eight)

2009-2010 मौसम के उत्पादन में से

चीनी के उत्पादक चीनी (2009-2010 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, दिनांक 21.06.2010 में यथानिर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।

9	32301	GOLEGAON	572.1(Five hundred seventy two decimal one)
		TOTAL :	21504.0

कृ.पृ.उ.

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /बिहार

दिनांक 25 जनवरी, 2012

सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए शर्तें:

1. सल्फीटेशन/कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित, आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी की गुणवत्ता की आई.एस.एस. ग्रेड की पुष्टि हो और 50 किलोग्राम नए जूट के बोरे में भरी जाए।
 - 1.1 यदि किसी चीनी मिल के पास उपरोक्त शर्त संख्या 1 के अनुसार लेवी चीनी स्टॉक नहीं है तो ऐसी चीनी मिलों को निदेश दिया जाता है कि नए चीनी मौसम भंडारण से 50 किलोग्राम वाले नए जूट के बोरों में पैक की गई लेवी चीनी की आपूर्ति करें, लेकिन चीनी मिल उस चीनी मौसम के लिए लागू लेवी मूल्य की पात्र होगी जिससे लेवी चीनी की निर्मुक्ति की गई है।
2. लेवी चीनी की फैक्ट्री से सुपुर्दगी अथवा रेल द्वारा प्रेषण, जैसी भी प्रेषिती की इच्छा हो, किया जा सकता है। यदि प्रेषण रेल द्वारा किया जाता है तो उत्पादक द्वारा प्रेषिती से प्रेषण निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वैगन/वैगनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि वैगन कोटा तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह वैगन कोटा के उपलब्ध होते ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उत्पादक, वैगन कोटा की अनुपलब्धता की रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (संचलन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को देगा।
3. इस आदेश के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी/प्रेषण 01.02.2012 से प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण मात्रा की सुपुर्दगी/प्रेषण 31.03.2012 तक पूर्ण होना चाहिए।
4. पूर्व पृष्ठ पर क्रम संख्या 1 से 8 पर उल्लिखित चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2010-2011 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 दिनांक 18.1.2011 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।
5. इस निर्देश के परिणामस्वरूप उत्पादक और प्रेषिती, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसरण में लेवी चीनी सुपुर्द अथवा प्रेषित की जाती है, के बीच लेन-देन पूर्ण रूप से वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। इन लेन-देन से उत्पन्न कोई भी दावा अथवा विवाद की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी तथा इस निर्देश को जारी किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

सेवा में,

सभी सम्बन्धित चीनी मिलें.

प्रति:-

1. संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी.
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, बिहार सरकार, पटना. आपके राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 20516.0 मी0 टन है। तथापि, फरवरी, 2012 माह के लिए अधिक आवंटित 930.1 मी0 टन के समायोजन के पश्चात् मार्च, 2012 माह के लिए 21504.0 मी0 टन की मात्रा रिलीज की गई है तथा इसके रोक लोड को पूरा करने के लिए 1860.2 मी0 टन का अधिक आवंटन भी किया गया है जिसका समायोजन अप्रैल, 2012 माह के लिए रिलीज किए जाने वाले आपके राज्य के लेवी चीनी कोटे के प्रति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश के जरिये आवंटित कोटे में आपके वार्षिक त्रयोहार कोटे के एक भाग के रूप में - मी0 टन और इस माह के लिए अर्द्धसैनिक बलों यथा बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के कार्मिकों के लिए लेवी चीनी कोटे के रूप में 57.9 मी0 टन लेवी चीनी की मात्रा भी शामिल है।
3. संबंधित स्टेशन मास्टर। उपरोक्त का संचलन उप निदेशक (लागत), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है.
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली.
5. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
6. सुविधा केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली.
7. अनुभाग अधिकारी(रिलीज)/उप निदेशक (लागत)/राज्य सरकार/फैक्ट्री फाइल.
8. एन.एफ.सी.एस.एफ./इस्मा.

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /गुजरात

दिनांक 25 जनवरी, 2012

आदेश

भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग की दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.697(अ.)/आ.व./चीनी के साथ पठित सा.का.नि. 420 (अ.)/आ.व./चीनी, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार, उप निदेशक (लागत), शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि निम्नलिखित चीनी मिलों के उत्पादक/मालिक अपनी संबंधित मिलों से इस निर्देश के प्राप्त होने पर 2009-2010 (अक्टूबर, 2009 से सितम्बर, 2010) के उत्पादन में से लेवी चीनी की एक विनिर्दिष्ट मात्रा को गुजरात सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकारी हो जिसे बाद में प्रेषिती कहा जाएगा बशर्ते कि वह निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस आदेश में सूचीबद्ध शर्तें पूरी करता हो:-

क्रम सं०	कोड संख्या	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
1	10301	CHALTHAN	1590.8 (One thousand five hundred ninety decimal eight)
2	10401	SAYAN	1341.0(One thousand three hundred forty one)
3	10501	MAHUVA	948.7(Nine hundred forty eight decimal seven)
4	10801	MAROLI	136.1(One hundred thirty six decimal one)
5	32101	VATARIA	1247.4(One thousand two hundred forty seven decimal four)
6	40901	DHARIKHEDA	95.1(Ninety five decimal one)
7	41001	GANDHARA	458.9(Four hundred fifty eight decimal nine)
8	41201	VIRPUR	79.9(Seventy nine decimal nine)
9	57901	KUKARMUNDA	58.9(Fifty eight decimal nine)
		TOTAL	5956.8

कृ.पृ.3.

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /गुजरात

दिनांक 25 जनवरी, 2012

सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए शर्तें:

1. सल्फीटेशन/कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित, आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी की गुणवत्ता की आई.एस.एस. ग्रेड की पुष्टि हो और 50 किलोग्राम नए जूट के बोरे में भरी जाए।
 - 1.1 यदि किसी चीनी मिल के पास उपरोक्त शर्त संख्या 1 के अनुसार लेवी चीनी स्टॉक नहीं है तो ऐसी चीनी मिलों को निदेश दिया जाता है कि नए चीनी मौसम भंडारण से 50 किलोग्राम वाले नए जूट के बोरों में पैक की गई लेवी चीनी की आपूर्ति करें, लेकिन चीनी मिल उस चीनी मौसम के लिए लागू लेवी मूल्य की पात्र होगी जिससे लेवी चीनी की निर्मुक्ति की गई है।
2. लेवी चीनी की फैक्ट्री से सुपुर्दगी अथवा रेल द्वारा प्रेषण, जैसी भी प्रेषिती की इच्छा हो, किया जा सकता है। यदि प्रेषण रेल द्वारा किया जाता है तो उत्पादक द्वारा प्रेषिती से प्रेषण निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वैगन/वैगनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि वैगन कोटा तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह वैगन कोटा के उपलब्ध होते ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उत्पादक, वैगन कोटा की अनुपलब्धता की रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (संचलन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को देगा।
3. इस आदेश के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी/प्रेषण 01.02.2012 से प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण मात्रा की सुपुर्दगी/प्रेषण 31.03.2012 तक पूर्ण होना चाहिए।
4. पूर्व पृष्ठ पर उल्लिखित चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2009-2010 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2010 दिनांक 21.06.2010 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।
5. इस निर्देश के परिणामस्वरूप उत्पादक और प्रेषिती, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसरण में लेवी चीनी सुपुर्दगी अथवा प्रेषिती की जाती है, के बीच लेन-देन पूर्ण रूप से वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। इन लेन-देन से उत्पन्न कोई भी दावा अथवा विवाद की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी तथा इस निर्देश को जारी किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

सेवा में,

सभी सम्बन्धित चीनी मिलें.

प्रति:-

1. संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी.
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर. आपके राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 5841.0 मी0 टन है। तथापि, फरवरी, 2012 माह के लिए अधिक आवंटित शून्य मी0 टन के समायोजन के पश्चात् मार्च, 2012 माह के लिए 5956.8 मी0 टन की मात्रा रिलीज की गई है तथा इसके रेक लोड को पूरा करने के लिए शून्य मी0 टन का अधिक आवंटन भी किया गया है जिसका समायोजन अप्रैल, 2012 माह के लिए रिलीज किए जाने वाले आपके राज्य के लेवी चीनी कोटे के प्रति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश के जरिये आवंटित कोटे में आपके वार्षिक ल्योहार कोटे के एक भाग के रूप में - मी0 टन और इस माह के लिए अर्द्धसैनिक बलों यथा बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के कार्मिकों के लिए लेवी चीनी कोटे के रूप में 115.8 मी0 टन लेवी चीनी की मात्रा भी शामिल है।
3. संबंधित स्टेशन मास्टर। उपरोक्त का संचलन उप निदेशक (लागत), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है.
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली.
5. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
6. सुविधा केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली.
7. अनुभाग अधिकारी(रिलीज)/उप निदेशक (लागत)/राज्य सरकार/फैक्ट्री फाइल.
8. एन.एफ.सी.एस.एफ./इस्मा.

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /हिमाचल प्रदेश

दिनांक 25 जनवरी, 2012

आदेश

भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग की दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.697(अ.)/आ.व./चीनी के साथ पठित सा.का.नि. 420 (अ.)/आ.व./चीनी, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार, उप निदेशक (लागत), शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि निम्नलिखित चीनी मिलों के उत्पादक/मालिक अपनी संबंधित मिलों से इस निर्देश के प्राप्त होने पर 2011-2012 (अक्टूबर, 2011 से सितम्बर, 2012) के उत्पादन में से लेवी चीनी की एक विनिर्दिष्ट मात्रा को हिमाचल प्रदेश सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकारी हो जिसे बाद में प्रेषिती कहा जाएगा बशर्ते कि वह निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस आदेश में सूचीबद्ध शर्तें पूरी करता हो:-

क्रम सं०	कोड संख्या /फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
उत्तर प्रदेश से		
1.	58001/ CHANDANPUR	800.0(Eight hundred)
2.	35201/ TITAWI	500.0 (Five hundred)
From Haryana		
3.	01801/ YAMUNANAGAR	1500.0(One thousand five hundred)
4.	42202/ BHADSON	300.0 (Three hundred)
5	62301/PHAPHRANA	200.0 (Two hundred)

2010-2011 मौसम के उत्पादन में से

चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2010-2011 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 दिनांक 18.1.2011 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।

उत्तर प्रदेश से		
6.	02901/ DAURALA	500.0(Five hundred)
7	56301/ BILAI	715.0(Seven hundred fifteen)
	जोड़	4515.0

कृ.पृ.उ.

सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए शर्तें:

1. सल्फिटेसन/कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित, आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी की गुणवत्ता की आई.एस.एस. ग्रेड की पुष्टि हो और 50 किलोग्राम नए जूट के बोरे में भरी जाए।
 - 1.1 यदि किसी चीनी मिल के पास उपरोक्त शर्त संख्या 1 के अनुसार लेवी चीनी स्टॉक नहीं है तो ऐसी चीनी मिलों को निदेश दिया जाता है कि नए चीनी मौसम भंडारण से 50 किलोग्राम वाले नए जूट के बोरो में पैक की गई लेवी चीनी की आपूर्ति करें, लेकिन चीनी मिल उस चीनी मौसम के लिए लागू लेवी मूल्य की पात्र होगी जिससे लेवी चीनी की निर्मुक्ति की गई है।
2. लेवी चीनी की फैक्ट्री से सुपुर्दगी अथवा रेल द्वारा प्रेषण, जैसी भी प्रेषिती की इच्छा हो, किया जा सकता है। यदि प्रेषण रेल द्वारा किया जाता है तो उत्पादक द्वारा प्रेषिती से प्रेषण निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वैगन/वैगनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि वैगन कोटा तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह वैगन कोटा के उपलब्ध होते ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उत्पादक, वैगन कोटा की अनुपलब्धता की रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (संचलन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को देगा।
3. इस आदेश के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी/प्रेषण 01.02.2012 से प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण मात्रा की सुपुर्दगी/प्रेषण 31.03.2012 तक पूर्ण होना चाहिए।
4. पूर्व पृष्ठ पर क्रम संख्या 1 से 5 पर उल्लिखित चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2011-2012 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 2012 में निर्धारित मूल्य, जब निर्धारण किया जाएगा, के पात्र होंगे। इस बीच चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2010-2011 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 दिनांक 18.1.2011 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।
5. इस निर्देश के परिणामस्वरूप उत्पादक और प्रेषिती, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसरण में लेवी चीनी सुपुर्दगी अथवा प्रेषित की जाती है, के बीच लेन-देन पूर्ण रूप से वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। इन लेन-देन से उत्पन्न कोई भी दावा अथवा विवाद की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी तथा इस निर्देश को जारी किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

सेवा में,

सभी सम्बन्धित चीनी मिलें.

प्रति:-

1. संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी.
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला. आपके राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 4698.0 मी0 टन है। तथापि, फरवरी, 2012 माह के लिए अधिक आवंटित 200.0 मी0 टन के समायोजन के पश्चात् मार्च, 2012 माह के लिए 4515.0 मी0 टन की मात्रा रिलीज की गई है तथा इसके रिक लोड को पूरा करने के लिए शून्य मी0 टन का अधिक आवंटन भी किया गया है जिसका समायोजन अप्रैल, 2012 माह के लिए रिलीज किए जाने वाले आपके राज्य के लेवी चीनी कोटे के प्रति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश के जरिये आवंटित कोटे में आपके वार्षिक त्र्योहार कोटे के एक भाग के रूप में शून्य मी0 टन और इस माह के लिए अर्द्धसैनिक बलों यथा बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के कार्मिकों के लिए लेवी चीनी कोटे के रूप में 17.0 मी0 टन लेवी चीनी की मात्रा भी शामिल है।
3. संबंधित स्टेशन मास्टर। उपरोक्त का संचलन उप निदेशक (लागत), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है.
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली.
5. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
6. सुविधा केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली.
7. अनुभाग अधिकारी(रिलीज)/उप निदेशक (लागत)/राज्य सरकार/फैक्ट्री फाइल.
8. एन.एफ.सी.एस.एफ./इस्मा.

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /मध्य प्रदेश

दिनांक 25 जनवरी, 2012

आदेश

भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग की दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.697(अ.)/आ.व./चीनी के साथ पठित सा.का.नि. 420 (अ.)/आ.व./चीनी, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार, उप निदेशक (लागत), शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि निम्नलिखित चीनी मिलों के उत्पादक/मालिक अपनी संबंधित मिलों से इस निर्देश के प्राप्त होने पर 2010-2011 (अक्टूबर, 2010 से सितम्बर, 2011) के उत्पादन में से लेवी चीनी की एक विनिर्दिष्ट मात्रा को मध्य प्रदेश सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकारी हो जिसे बाद में प्रेषिती कहा जाएगा बशर्ते कि वह निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस आदेश में सूचीबद्ध शर्तें पूरी करता हो:-

क्रम सं०	कोड संख्या	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
From Gujarat			
1.	10401	BARDOLI	1500.0 (One thousand five hundred)
From Maharashtra			
2.	54901	GAGAN	2688.0(Two thousand six hundred eighty eight)
3	20601	SAMARTH	2688.0(Two thousand six hundred eighty eight)
4	35301	AGASTI	2590.3((Two thousand five hundred ninety decimal three)

2009-2010 मौसम के उत्पादन में से

चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2009-2010 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2010 दिनांक 21.6.2010 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।

From Gujarat			
5	10301	CHALTHAN	1616.8 (One thousand six hundred sixteen decimal eight)
From Maharashtra			
6	35301	AGASTI	97.7(Ninety seven decimal seven)
		TOTAL	11180.8

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /मध्य प्रदेश

दिनांक 25 जनवरी, 2012

सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए शर्तें:

1. सल्फीटेशन/कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित, आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी की गुणवत्ता की आई.एस.एस. ग्रेड की पुष्टि हो और 50 किलोग्राम नए जूट के बोरे में भरी जाए।
 - 1.1 यदि किसी चीनी मिल के पास उपरोक्त शर्त संख्या 1 के अनुसार लेवी चीनी स्टॉक नहीं है तो ऐसी चीनी मिलों को निदेश दिया जाता है कि नए चीनी मौसम भंडारण से 50 किलोग्राम वाले नए जूट के बोरों में पैक की गई लेवी चीनी की आपूर्ति करें, लेकिन चीनी मिल उस चीनी मौसम के लिए लागू लेवी मूल्य की पात्र होगी जिससे लेवी चीनी की निर्मुक्ति की गई है।
2. लेवी चीनी की फैक्ट्री से सुपुर्दगी अथवा रेल द्वारा प्रेषण, जैसी भी प्रेषिती की इच्छा हो, किया जा सकता है। यदि प्रेषण रेल द्वारा किया जाता है तो उत्पादक द्वारा प्रेषिती से प्रेषण निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वैगन/वैगनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि वैगन कोटा तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह वैगन कोटा के उपलब्ध होते ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उत्पादक, वैगन कोटा की अनुपलब्धता की रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (संचलन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को देगा।
3. इस आदेश के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी/प्रेषण 01.02.2012 से प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण मात्रा की सुपुर्दगी/प्रेषण 31.03.2012 तक पूर्ण होना चाहिए।
4. पूर्व पृष्ठ पर क्रम संख्या 1 से 4 पर उल्लिखित चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2010-2011 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 दिनांक 18.1.2011 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।
5. इस निर्देश के परिणामस्वरूप उत्पादक और प्रेषिती, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसरण में लेवी चीनी सुपुर्द अथवा प्रेषित की जाती है, के बीच लेन-देन पूर्ण रूप से वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। इन लेन-देन से उत्पन्न कोई भी दावा अथवा विवाद की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी तथा इस निर्देश को जारी किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

सेवा में,

सभी सम्बन्धित चीनी मिलें.

प्रति:-

1. संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी.
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल. आपके राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 12441.0 मी0 टन है। तथापि, फरवरी, 2012 माह के लिए अधिक आवंटित 1389.8 मी0 टन के समायोजन के पश्चात् मार्च, 2012 माह के लिए 11180.8 मी0 टन की मात्रा रिलीज की गई है तथा इसके रोक लोड को पूरा करने के लिए - मी0 टन का अधिक आवंटन भी किया गया है जिसका समायोजन अप्रैल, 2012 माह के लिए रिलीज किए जाने वाले आपके राज्य के लेवी चीनी कोटे के प्रति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश के जरिये आवंटित कोटे में आपके वार्षिक त्र्योहार कोटे के एक भाग के रूप में शून्य मी0 टन और इस माह के लिए अर्द्धसैनिक बलों यथा बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के कार्मिकों के लिए लेवी चीनी कोटे के रूप में 129.6 मी0 टन लेवी चीनी की मात्रा भी शामिल है।
3. संबंधित स्टेशन मास्टर। उपरोक्त का संचलन उप निदेशक (लागत), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है.
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली.
5. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
6. सुविधा केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली.
7. अनुभाग अधिकारी(रिलीज)/उप निदेशक (लागत)/राज्य सरकार/फैक्ट्री फाइल.
8. एन.एफ.सी.एस.एफ./इसमा.

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /उत्तराखंड

दिनांक 25 जनवरी, 2012

आदेश

भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग की दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.697(अ.)/आ.व./चीनी के साथ पठित सा.का.नि. 420 (अ.)/आ.व./चीनी, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार, उप निदेशक (लागत), शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि निम्नलिखित चीनी मिलों के उत्पादक/मालिक अपनी संबंधित मिलों से इस निर्देश के प्राप्त होने पर 2011-2012 (अक्टूबर, 2011 से सितम्बर, 2012) के उत्पादन में से लेवी चीनी की एक विनिर्दिष्ट मात्रा को उत्तराखंड सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकारी हो जिसे बाद में प्रेषिती कहा जाएगा बशर्ते कि वह निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस आदेश में सूचीबद्ध शर्तें पूरी करता हो:-

क्रम सं०	कोड संख्या	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
		उत्तराखंड से	
1.	02207	DOIWALA	306.1(Three hundred six decimal one)
2.	03201	LHAKSAR	306.1(Three hundred six decimal one)
3.	04001	KICHHA	306.1(Three hundred six decimal one)
4.	04401	BAZPUR	306.1(Three hundred six decimal one)
5.	04501	NADEHI	306.1(Three hundred six decimal one)
6.	04601	SITARGANJ	306.1(Three hundred six decimal one)
7.	04701	GADARPUR	306.1(Three hundred six decimal one)

2010-2011 मौसम के उत्पादन में से

चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2010-2011 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 दिनांक 18.1.2011 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।

8	03101	IQBALPUR	3958.5(Three thousand nine hundred fifty eight decimal five)
		जोड़	6101.2

सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए शर्तें:

1. सल्फिटेडेशन/कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित, आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी की गुणवत्ता की आई.एस.एस. ग्रेड की पुष्टि हो और 50 किलोग्राम नए जूट के बोरे में भरी जाए।
 - 1.1 यदि किसी चीनी मिल के पास उपरोक्त शर्त संख्या 1 के अनुसार लेवी चीनी स्टॉक नहीं है तो ऐसी चीनी मिलों को निदेश दिया जाता है कि नए चीनी मौसम भंडारण से 50 किलोग्राम वाले नए जूट के बोरों में पैक की गई लेवी चीनी की आपूर्ति करें, लेकिन चीनी मिल उस चीनी मौसम के लिए लागू लेवी मूल्य की पात्र होगी जिससे लेवी चीनी की निर्मुक्ति की गई है।
2. लेवी चीनी की फैक्ट्री से सुपुर्दगी अथवा रेल द्वारा प्रेषण, जैसी भी प्रेषिती की इच्छा हो, किया जा सकता है। यदि प्रेषण रेल द्वारा किया जाता है तो उत्पादक द्वारा प्रेषिती से प्रेषण निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वैगन/वैगनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि वैगन कोटा तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह वैगन कोटा के उपलब्ध होते ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उत्पादक, वैगन कोटा की अनुपलब्धता की रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (संचलन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को देगा।
3. इस आदेश के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी/प्रेषण 01.02.2012 से प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण मात्रा की सुपुर्दगी/प्रेषण 31.03.2012 तक पूर्ण होना चाहिए।
4. पूर्व पृष्ठ पर क्रम संख्या 1 से 7 पर उल्लिखित चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2011-2012 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 2012 में निर्धारित मूल्य, जब निर्धारण किया जाएगा, के पात्र होंगे। इस बीच चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2010-2011 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 दिनांक 18.1.2011 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।
5. इस निर्देश के परिणामस्वरूप उत्पादक और प्रेषिती, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसरण में लेवी चीनी सुपुर्द अथवा प्रेषित की जाती है, के बीच लेन-देन पूर्ण रूप से वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। इन लेन-देन से उत्पन्न कोई भी दावा अथवा विवाद की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी तथा इस निर्देश को जारी किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

सेवा में,

सभी सम्बन्धित चीनी मिलें.

प्रति:-

1. संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी.
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून. आपके राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 6033.0 मी0 टन है। तथापि, फरवरी, 2012 माह के लिए अधिक आवंटित शून्य मी0 टन के समायोजन के पश्चात् मार्च, 2012 माह के लिए 6101.2 मी0 टन की मात्रा रिलीज की गई है तथा इसके रिक लोड को पूरा करने के लिए शून्य मी0 टन का अधिक आवंटन भी किया गया है जिसका समायोजन अप्रैल, 2012 माह के लिए रिलीज किए जाने वाले आपके राज्य के लेवी चीनी कोटे के प्रति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश के जरिये आवंटित कोटे में आपके वार्षिक त्यौहार कोटे के एक भाग के रूप में - मी0 टन और इस माह के लिए अर्द्धसैनिक बलों यथा सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के कार्मिकों के लिए लेवी चीनी कोटे के रूप में 68.2 मी0 टन लेवी चीनी की मात्रा भी शामिल है।
3. संबंधित स्टेशन मास्टर। उपरोक्त का संचलन उप निदेशक (लागत), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है.
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली.
5. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
6. सुविधा केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली.
7. अनुभाग अधिकारी(रिलीज)/उप निदेशक (लागत)/राज्य सरकार/फैक्ट्री फाइल.
8. एन.एफ.सी.एस.एफ./इस्मा.

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /दिल्ली

दिनांक 25 जनवरी, 2012

आदेश

भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग की दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.697(अ.)/आ.व./चीनी के साथ पठित सा.का.नि. 420 (अ.)/आ.व./चीनी, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार, उप निदेशक (लागत), शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि निम्नलिखित चीनी मिलों के उत्पादक/मालिक अपनी संबंधित मिलों से इस निर्देश के प्राप्त होने पर 2011-2012 (अक्टूबर, 2011 से सितम्बर, 2012) के उत्पादन में से लेवी चीनी की एक विनिर्दिष्ट मात्रा को दिल्ली सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकारी हो जिसे बाद में प्रेषिती कहा जाएगा बशर्ते कि वह निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस आदेश में सूचीबद्ध शर्तें पूरी करता हो:-

क्रम सं०	कोड संख्या	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
		उत्तर प्रदेश से	
1.	47501	JK SUGAR	983.1(Nine hundred eighty three decimal one)
2.	03501	SHAMLI	983.1(Nine hundred eighty three decimal one)
3.	03701	SIMBHAOLI	983.2(Nine hundred eighty three decimal two)
		TOTAL	2949.4

कृ.पृ.उ.

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /दिल्ली

दिनांक 25 जनवरी, 2012

सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए शर्तें:

1. सल्फिटेसन/कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित, आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी की गुणवत्ता की आई.एस.एस. ग्रेड की पुष्टि हो और 50 किलोग्राम नए जूट के बोरे में भरी जाए।
 - 1.1 यदि किसी चीनी मिल के पास उपरोक्त शर्त संख्या 1 के अनुसार लेवी चीनी स्टॉक नहीं है तो ऐसी चीनी मिलों को निदेश दिया जाता है कि नए चीनी मौसम भंडारण से 50 किलोग्राम वाले नए जूट के बोरों में पैक की गई लेवी चीनी की आपूर्ति करें, लेकिन चीनी मिल उस चीनी मौसम के लिए लागू लेवी मूल्य की पात्र होगी जिससे लेवी चीनी की निर्मुक्ति की गई है।
2. लेवी चीनी की फैक्ट्री से सुपुर्दगी अथवा रेल द्वारा प्रेषण, जैसी भी प्रेषिती की इच्छा हो, किया जा सकता है। यदि प्रेषण रेल द्वारा किया जाता है तो उत्पादक द्वारा प्रेषिती से प्रेषण निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वैगन/वैगनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि वैगन कोटा तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह वैगन कोटा के उपलब्ध होते ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उत्पादक, वैगन कोटा की अनुपलब्धता की रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (संचलन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को देगा।
3. इस आदेश के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी/प्रेषण 01.02.2012 से प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण मात्रा की सुपुर्दगी/प्रेषण 31.03.2012 तक पूर्ण होना चाहिए।
4. पूर्व पृष्ठ पर उल्लिखित चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2011-2012 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 2012 में निर्धारित मूल्य, जब निर्धारण किया जाएगा, के पात्र होंगे। इस बीच चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2010-2011 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 दिनांक 18.1.2011 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।
5. इस निर्देश के परिणामस्वरूप उत्पादक और प्रेषिती, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसरण में लेवी चीनी सुपुर्द अथवा प्रेषित की जाती है, के बीच लेन-देन पूर्ण रूप से वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। इन लेन-देन से उत्पन्न कोई भी दावा अथवा विवाद की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी तथा इस निर्देश को जारी किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

सेवा में,

सभी सम्बन्धित चीनी मिलें.

प्रति:-

1. संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी.
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली. आपके राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 2610.0 मी0 टन है। तथापि, फरवरी, 2012 माह के लिए अधिक आवंटित शून्य मी0 टन के समायोजन के पश्चात् मार्च, 2012 माह के लिए 2940.4 मी0 टन की मात्रा रिलीज की गई है तथा इसके रिक लोड को पूरा करने के लिए शून्य मी0 टन का अधिक आवंटन भी किया गया है जिसका समायोजन अप्रैल, 2012 माह के लिए रिलीज किए जाने वाले आपके राज्य के लेवी चीनी कोटे के प्रति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश के जरिये आवंटित कोटे में आपके वार्षिक त्र्योहार कोटे के एक भाग के रूप में शून्य मी0 टन और इस माह के लिए अर्द्धसैनिक बलों यथा बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के कार्मिकों के लिए लेवी चीनी कोटे के रूप में 339.4 मी0 टन लेवी चीनी की मात्रा भी शामिल है।
3. संबंधित स्टेशन मास्टर। उपरोक्त का संचलन उप निदेशक (लागत), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है.
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली.
5. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
6. सुविधा केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली.
7. अनुभाग अधिकारी(रिलीज)/उप निदेशक (लागत)/राज्य सरकार/फैक्ट्री फाइल.
8. एन.एफ.सी.एस.एफ./इस्मा.

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /छत्तीसगढ़

दिनांक 25 जनवरी, 2012

आदेश

भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग की दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.697(अ.)/आ.व./चीनी के साथ पठित सा.का.नि. 420 (अ.)/आ.व./चीनी, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार, उप निदेशक (लागत), शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि निम्नलिखित चीनी मिलों के उत्पादक/मालिक अपनी संबंधित मिलों से इस निर्देश के प्राप्त होने पर 2011-2012 (अक्टूबर, 2011 से सितम्बर, 2012) के उत्पादन में से लेवी चीनी की एक विनिर्दिष्ट मात्रा को छत्तीसगढ़ सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकारी हो जिसे बाद में प्रेषिती कहा जाएगा बशर्ते कि वह निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस आदेश में सूचीबद्ध शर्तें पूरी करता हो:-

क्रम सं०	कोड संख्या	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
महाराष्ट्र से			
1.	51101	GANGAMAI	2688.0 (दो हजार छः सौ अठासी)

2009-2010 मौसम के उत्पादन में से

चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2009-2010 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2010 दिनांक 21.6.2010 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।

2	52401	Pawarwadi	2688.0 (दो हजार छः सौ अठासी)
		जोड़	5376.0

कृ.पृ.उ.

सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए शर्तें:

1. सल्फिटेडेशन/कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित, आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी की गुणवत्ता की आई.एस.एस. ग्रेड की पुष्टि हो और 50 किलोग्राम नए जूट के बोरे में भरी जाए।
 - 1.1 यदि किसी चीनी मिल के पास उपरोक्त शर्त संख्या 1 के अनुसार लेवी चीनी स्टॉक नहीं है तो ऐसी चीनी मिलों को निदेश दिया जाता है कि नए चीनी मौसम भंडारण से 50 किलोग्राम वाले नए जूट के बोरों में पैक की गई लेवी चीनी की आपूर्ति करें, लेकिन चीनी मिल उस चीनी मौसम के लिए लागू लेवी मूल्य की पात्र होगी जिससे लेवी चीनी की निर्मुक्ति की गई है।
2. लेवी चीनी की फैक्ट्री से सुपुर्दगी अथवा रेल द्वारा प्रेषण, जैसी भी प्रेषिती की इच्छा हो, किया जा सकता है। यदि प्रेषण रेल द्वारा किया जाता है तो उत्पादक द्वारा प्रेषिती से प्रेषण निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वैगन/वैगनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि वैगन कोटा तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह वैगन कोटा के उपलब्ध होते ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उत्पादक, वैगन कोटा की अनुपलब्धता की रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (संचलन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को देगा।
3. इस आदेश के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी/प्रेषण 01.02.2012 से प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण मात्रा की सुपुर्दगी/प्रेषण 31.03.2012 तक पूर्ण होना चाहिए।
4. पूर्व पृष्ठ पर क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2011-2012 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 2012 में निर्धारित मूल्य, जब निर्धारण किया जाएगा, के पात्र होंगे। इस बीच चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2010-2011 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 दिनांक 18.1.2011 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।
5. इस निर्देश के परिणामस्वरूप उत्पादक और प्रेषिती, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसरण में लेवी चीनी सुपुर्दगी अथवा प्रेषित की जाती है, के बीच लेन-देन पूर्ण रूप से वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। इन लेन-देन से उत्पन्न कोई भी दावा अथवा विवाद की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी तथा इस निर्देश को जारी किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

सेवा में,

सभी सम्बन्धित चीनी मिलें.

प्रति:-

1. संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी.
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर. आपके राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 4512.0 मी0 टन है। तथापि, फरवरी, 2012 माह के लिए अधिक आवंटित 850.3 मी0 टन के समायोजन के पश्चात् मार्च, 2012 माह के लिए 5376.0 मी0 टन की मात्रा रिलीज की गई है तथा इसके रिक लोड को पूरा करने के लिए 1686.3 मी0 टन का अधिक आवंटन भी किया गया है जिसका समायोजन अप्रैल, 2012 माह के लिए रिलीज किए जाने वाले आपके राज्य के लेवी चीनी कोटे के प्रति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश के जरिये आवंटित कोटे में आपके वार्षिक त्योंहार कोटे के एक भाग के रूप में शून्य मी0 टन और इस माह के लिए अर्द्धसैनिक बलों यथा बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के कार्मिकों के लिए लेवी चीनी कोटे के रूप में 28.0 मी0 टन लेवी चीनी की मात्रा भी शामिल है।
3. संबंधित स्टेशन मास्टर। उपरोक्त का संचलन उप निदेशक (लागत), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है.
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली.
5. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
6. सुविधा केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली.
7. अनुभाग अधिकारी(रिलीज)/उप निदेशक (लागत)/राज्य सरकार/फैक्ट्री फाइल.
8. एन.एफ.सी.एस.एफ./इस्मा.

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संख्या एस.सी.2/2011-2012/आ.आ./मार्च, 2012 /झारखंड

दिनांक 25 जनवरी, 2012

आदेश

भारत सरकार के पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग की दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.697(अ.)/आ.व./चीनी के साथ पठित सा.का.नि. 420 (अ.)/आ.व./चीनी, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार, उप निदेशक (लागत), शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि निम्नलिखित चीनी मिलों के उत्पादक/मालिक अपनी संबंधित मिलों से इस निर्देश के प्राप्त होने पर 2009-2010 (अक्टूबर, 2010 से सितम्बर, 2011) के उत्पादन में से लेवी चीनी की एक विनिर्दिष्ट मात्रा को झारखंड सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकारी हो जिसे बाद में प्रेषिती कहा जाएगा बशर्ते कि वह निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस आदेश में सूचीबद्ध शर्तें पूरी करता हो:-

क्रम सं०	कोड संख्या	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
From U.P.			
1	57501	MANKAPUR	2688.0 (Two thousand six hundred eighty eight)
2	06301	GOLA	2688.0(Two thousand six hundred eighty eight)
From Bihar			
3	22501	RIGHA	534.3 (Five hundred thirty four decimal three)
	Total		5910.3

कृ.पृ.उ.

सुपुर्दगी/प्रेषण के लिए शर्तें:

1. सल्फीटेशन/कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित, आपूर्ति की जाने वाली लेवी चीनी की गुणवत्ता की आई.एस.एस. ग्रेड की पुष्टि हो और 50 किलोग्राम नए जूट के बोरे में भरी जाए।
 - 1.1 यदि किसी चीनी मिल के पास उपरोक्त शर्त संख्या 1 के अनुसार लेवी चीनी स्टॉक नहीं है तो ऐसी चीनी मिलों को निदेश दिया जाता है कि नए चीनी मौसम भंडारण से 50 किलोग्राम वाले नए जूट के बोरों में पैक की गई लेवी चीनी की आपूर्ति करें, लेकिन चीनी मिल उस चीनी मौसम के लिए लागू लेवी मूल्य की पात्र होगी जिससे लेवी चीनी की निर्मुक्ति की गई है।
2. लेवी चीनी की फैक्ट्री से सुपुर्दगी अथवा रेल द्वारा प्रेषण, जैसी भी प्रेषिती की इच्छा हो, किया जा सकता है। यदि प्रेषण रेल द्वारा किया जाता है तो उत्पादक द्वारा प्रेषिती से प्रेषण निर्देश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर वैगन/वैगनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि वैगन कोटा तत्काल उपलब्ध नहीं है तो वह वैगन कोटा के उपलब्ध होते ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। उत्पादक, वैगन कोटा की अनुपलब्धता की रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (संचलन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को देगा।
3. इस आदेश के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी/प्रेषण 01.02.2012 से प्रारम्भ होगा तथा सम्पूर्ण मात्रा की सुपुर्दगी/प्रेषण 31.03.2012 तक पूर्ण होना चाहिए।
4. पूर्व पृष्ठ पर क्रम संख्या पर उल्लिखित चीनी मिलों के उत्पादक चीनी (2010-2011 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 दिनांक 21.6.2010 में निर्धारित मूल्य के पात्र होंगे।
5. इस निर्देश के परिणामस्वरूप उत्पादक और प्रेषिती, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसरण में लेवी चीनी सुपुर्द अथवा प्रेषित की जाती है, के बीच लेन-देन पूर्ण रूप से वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। इन लेन-देन से उत्पन्न कोई भी दावा अथवा विवाद की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी तथा इस निर्देश को जारी किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

सेवा में,

सम्बन्धित चीनी मिल.

प्रति:-

1. संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी.
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, झारखंड सरकार, रांची. आपके राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 6948.0 मी0 टन है। तथापि, फरवरी, 2012 माह के लिए अधिक आवंटित 1080.4 मी0 टन के समायोजन के पश्चात् मार्च, 2012 माह के लिए 5910.3 मी0 टन की मात्रा रिलीज की गई है तथा इसके रिक लोड को पूरा करने के लिए - मी0 टन का अधिक आवंटन भी किया गया है जिसका समायोजन अप्रैल, 2012 माह के लिए रिलीज किए जाने वाले आपके राज्य के लेवी चीनी कोटे के प्रति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश के जरिये आवंटित कोटे में आपके वार्षिक त्रयोहार कोटे के एक भाग के रूप में - मी0 टन और इस माह के लिए अर्द्धसैनिक बलों यथा बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के कार्मिकों के लिए लेवी चीनी कोटे के रूप में 42.7 मी0 टन लेवी चीनी की मात्रा भी शामिल है।
3. संबंधित स्टेशन मास्टर। उपरोक्त का संचलन उप निदेशक (लागत), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है.
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, नई दिल्ली.
5. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
6. सुविधा केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली.
7. अनुभाग अधिकारी(रिलीज)/उप निदेशक (लागत)/राज्य सरकार/फैक्ट्री फाइल.
8. एन.एफ.सी.एस.एफ./इसमा.

(संजय कुमार)
उप निदेशक (लागत)

